इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 नवम्बर 2025–कार्तिक 30, शक 1947

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम ओम राजपूत पिता रामनिवास राजपूत (OM RAJPUT S/o. RAMNIVAS RAJPUT), मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश शौर्या दांगी ठाकुर (SHOURYA DANGI THAKUR) दर्ज हो गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरे पुत्र का सही नाम ओम राजपूत पिता रामनिवास राजपूत (OM RAJPUT S/o. RAMNIVAS RAJPUT) उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके आधार कार्ड, शासकीय, अशासकीय, शैक्षणिक, अशैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहता हूँ, अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को ओम राजपूत पिता रामनिवास राजपूत (OM RAJPUT S/o. RAMNIVAS RAJPUT) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

आवेदक
(रामनिवास राजपूत)
आत्मज– श्री जगदीश राजपूत
निवासी– मिंडबासा, पोस्ट बासा,
तोडा, तरफदार, मिडवासा, सागर (म.प्र.).

(G-6742)

नाम परिवर्तन

मैं, चैनसिंह गूजर आत्मज श्री रामरतन सिंह, निवासी–ग्राम सासबहू, म.नं.–44, तहसील सांईखेड़ा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम राधिका गूजर है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम अंशिका अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम राधिका गूजर के नाम से जानी–पहचानी जायेगी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का यही नाम रहेगा.

आवेदक
(चैनसिंह गुर्जर)

(G-6743)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम जासमीन पिता सराफत अली (JASMEEN D/o. SARAFAT ALI), निवासी– तहसील गैरतगंज, पोस्ट–सोडरपुर, ग्राम–टेकापरखोडी, सोडरपुर, रायसेन (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश जासमी बीना पिता सराफत अली (JASMEE BEENA D/o. SARAFAT ALI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों की अंकसूची में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का नाम जासमीन पिता सराफत अली (JASMEEN D/o. SARAFAT ALI) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(सराफत अली)
पिता– श्री बजीर अली.

(G-6744)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम स्वाति अहिरवार पुत्री पूरन लाल अहिरवार (SWATI AHIRWAR D/o. PURAN LAL AHIRWAR). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश तनु अहिरवार पिता पुरन अहिरवार (TANU AHIRWAR D/o. PURAN AHIRWAR) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम स्वाति अहिरवार पुत्री पूरन लाल अहिरवार (SWATI AHIRWAR D/o. PURAN LAL AHIRWAR) उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके आधार कार्ड, शासकीय, अशासकीय, शैक्षणिक, अशैक्षणिक, दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को स्वाति अहिरवार पुत्री पूरन लाल अहिरवार (SWATI AHIRWAR D/o. PURAN LAL AHIRWAR) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

आवेदक
(पूरन लाल अहिरवार)
पिता– श्री गनपत
निवासी– म.नं.–22, ग्राम खाकरोन,
ढाना, नरयाव, सागर (म.प्र.).

(G-6745)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मधु पत्नी अमृतलाल (MADHU W/o. AMRITLAL), निवासी– ब्लॉक नं.–78, एस 2, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर 12 नं. का पास, तहसील हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम मधु ससोर पत्नी अमृतलाल (MADHU SASOUR W/o. AMRITLAL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम पैन कार्ड, मूल निवासी या अन्य दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम मधु पत्नी अमृतलाल (MADHU W/o. AMRITLAL) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मधु ससोर)
(MADHU SASOUR)

नया नाम
(मधु)
(MADHU)
पत्नी– अमृतलाल
(W/o. AMRITLAL).

(G-6746)

नाम परिवर्तन

मैं, दीपक कुर्मी पुत्र रामस्वरूप, जाति कुर्मी, निवासी– ग्राम निसोबरी, तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम गलती से राजकुमार अंकित हो गया है. मेरा सही नाम दीपक कुर्मी है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे दीपक कुर्मी के नाम से जाना व पहचाना जावे.

प्रार्थी
(दीपक कुर्मी)
पुत्र– रामस्वरूप.

(G-6747)

नाम परिवर्तन

मैं, जहीर खान मेरी पुत्री आलिया बी (AALIYA BEE) का आधार कार्ड में नाम त्रुटिवश मोहसिना बी (MOHSINA BEE) अंकित हो गया है. जबकि मेरी पुत्री का सही नाम आलिया बी (AALIYA BEE) है. जबकि उसकी अंकसूची एवं अन्य दस्तावेजों में सही नाम आलिया वी (AALIYA BEE) अंकित है. अतः प्रकाशन उपरांत आगे भी मेरी पुत्री को उसके सही नाम आलिया बी (AALIYA BEE) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा.

आवेदक
(जहीर खान)
पुत्र– श्री रियाज खान
निवासी– ग्राम ओसनयाई, पोस्ट घटवार,
तहसील सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-6748)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहसीन खान पिता मंसूर खान, निवासी– वार्ड नं.–4, सयैद अहमद करीम गली, सिवनी–मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण उसका नाम मोहम्मद अर्श हुसैन अंकित हो गया है. जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में उसका नाम मोहम्मद बिलाल हुसैन है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र के आधार पर मोहम्मद बिलाल हुसैन के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

आवेदक
(मोहसीन खान).

(G-6749)

नाम परिवर्तन

मैं, धन सिंह गजेन्द्र पिता रामरतन गजेन्द्र, निवासी– ग्राम सुकतरा, तहसील केवलारी, जिला सिवनी (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश सोनिया गजेन्द्र दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम शानू गजेन्द्र है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं कक्षा 8वीं की अंकसूची में दर्ज है. मैं मेरी पुत्री का सही नाम उसके आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को शानू गजेन्द्र के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(धन सिंह गजेन्द्र).

(G-6750)

नाम परिवर्तन

मैं, भागवत पिता भारत सिंह, निवासी–ग्राम लछोरा, तहसील टिमरनी, पोस्ट छीपानेर, जिला हरदा (म.प्र.). मेरे पुत्री का आधार कार्ड बनवाते समय त्रुटिवश उसका नाम आरूषी (Arushi) हो गया है. जबकि मेरे पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में उसका नाम आयुषी (AAYUSHI) है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम आयुषी (AAYUSHI) के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

आवेदक
(भागवत).

(G-6751)

नाम परिवर्तन

मैं, दिवाकर सिंह कुशवाह पुत्र कृष्ण गोपाल सिंह, निवासी–डी.ए.वी. विद्यालय के पास, चंद्र नगर, गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश अंश (ANSH) पुत्र किरण कुशवाह (माता) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र की अंकसूची एवं जन्म प्रमाण–पत्र में धनंजय सिंह कुशवाह (DHANANJAY SINGH KUSHWAH) पुत्र दिवाकर सिंह कुशवाह नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम धनंजय सिंह कुशवाह (DHANANJAY SINGH KUSHWAH) पुत्र दिवाकर सिंह कुशवाह के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(दिवाकर सिंह कुशवाह)
पुत्र– कृष्ण गोपाल सिंह.

(G-6752)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश सौरव तवर (SOURAV TAWAR) नाम दर्ज हो गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैंने मेरे पुत्र का नाम देवांग तवर (DEVANG TAWAR) पिता राकेश कुमार तवर रख लिया है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र को सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम देवांग तवर (DEVANG TAWAR) से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(राकेश कुमार तवर)
पता– ग्राम बाबडिया भाऊ,
पोस्ट बाबडिया भाऊ,
तहसील सिवनी मालवा,
जिला होशंगाबाद (म.प्र.).

(G-6753)

नाम परिवर्तन

मैं, डॉ. अनिल गर्ग मेरा सही नाम ''अनिल गर्ग'' है, किन्तु स्कूल, कॉलेज की शैक्षणिक अंकसूचियों व प्रमाण–पत्रों में मेरा नाम अनिल के स्थान पर अनिल कुमार अंकित हो गया है. जो त्रुटिपूर्ण है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे 'अनिल गर्ग' के नाम से जाना–पहचाना एवं मेरे सभी दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(अनिल गर्ग)
पुत्र– स्व. श्री बशेश्वर दयाल गर्ग
पता– 233,234, ओम शिव कालोनी,
लालघाटी, भोपाल (म.प्र.).

(G-6754)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम अनवार अहमद पिता गजीर मोहम्मद, निवासी– 49, बैंक नगर, अशोक गार्डन, तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश अनवार अहमद नज़ीर मोहम्मद पिता नज़ीर मोहम्मद (Anwar Ahmed Nazeer Mohammad C/o. Nazeer Mohammad) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अनवार अहमद (ANWAR AHMED) पिता नजीर मोहम्मद (NAZEER MOHAMMAD) व अनवार अहमद नज़ीर मोहम्मद पिता नज़ीर मोहम्मद (Anwar Ahmed Nazeer Mohammad C/o. Nazeer Mohammad) दोनों एक ही व्यक्ति हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम अनवार अहमद (ANWAR AHMED) पिता नजीर मोहम्मद (NAZEER MOHAMMAD) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अनवार अहमद नज़ीर मोहम्मद)	**(अनवार अहमद)**
(Anwar Ahmed Nazeer Mohammad)	(ANWAR AHMED)
	पिता– नजीर मोहम्मद
(G-6755)	(NAZEER MOHAMMAD).

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम प्रिन्स साहू पिता स्व. केदारनाथ साहू, निवासी– 92, सरस्वती स्कूल कटंगी कॉटी, कटंगी, जिला जबलपुर (म.प्र.) ने अपना नाम बदलकर पंकज साहू कर लिया हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे प्रिन्स साहू नाम के स्थान पर पंकज साहू के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रिन्स साहू)	**(पंकज साहू).**
(G-6756)	

नाम परिवर्तन

मेरा नाम जितेन्द्र कुमार पुत्र रघुवीर पटेल (JITENDRA KUMAR S/o. RAGHUVEER PATEL), निवासी– 59/1, ग्राम बांस पिपरिया, अकोला बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम घनश्याम पुत्र हिम्मतराम (GHANSHYAM S/o. HIMMATRAM) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम अंकसूची में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम जितेन्द्र कुमार पुत्र रघुवीर पटेल (JITENDRA KUMAR S/o. RAGHUVEER PATEL) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(घनश्याम पुत्र हिम्मतराम)	**(जितेन्द्र कुमार)**
(GHANSHYAM S/o. HIMMATRAM)	(JITENDRA KUMAR)
	पुत्र– रघुवीर पटेल
(G-6757)	(S/o. RAGHUVEER PATEL).

नाम परिवर्तन

मैं, बंटी नायक पुत्र श्री राधेश्याम नायक, निवासी– ग्राम हरिपुरा, तहसील सुठालिया, जिला राजगढ़ (म.प्र.). मैंने अपना नाम बदलकर आगे से वेदिक नायक रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे मेरे सही नाम वेदिक नायक से ही जाना–पहचाना जाएगा तथा मेरे सभी शैक्षणिक, शासकीय एवं व्यक्तिगत दस्तावेजों में यही नाम मान्य होगा.

पुराना नाम	नया नाम
(बन्टी नायक)	**(वेदिक नायक).**
(G-6758)	

उपनाम परिवर्तन

मैं, लखन लाल बसोर (Lakhan Lal Basor) पुत्र श्री नंदराम (Nandram), निवासी– ग्राम पनारी, पोस्ट ऑफिस महाराजपुर, तहसील देवरी, जिला सागर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड/दस्तावेजों में मेरा नाम नंदराम (Nandram) पुत्र श्री लखन लाल (Lakhan Lal) अंकित है. मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम लखन लाल बसोर (Lakhan Lal Basor) पुत्र श्री नंदराम (Nandram) है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे लखन लाल बसोर (Lakhan Lal Basor) पुत्र श्री नंदराम (Nandram) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(लखन लाल)	**(लखन लाल बसोर)**
(Lakhan Lal)	(Lakhan Lal Basor)
	पुत्र– श्री नंदराम
(G-6759)	(S/o. Nandram).

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम प्रियांश जैन (PRIYANSH JAIN) है यही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों आदि में दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम प्रियांशु जैन (PRIYANSHU JAIN) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम प्रियांशु जैन (PRIYANSHU JAIN) के स्थान पर प्रियांश जैन (PRIYANSH JAIN) दर्ज किया जावे एवं भविष्य में उसे प्रियांश जैन (PRIYANSH JAIN) पुत्र नरेन्द्र जैन के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(नरेन्द्र जैन)
पुत्र– ओम प्रकाश
निवासी– भाउ साहब जामदार का बाड़ा,
शीतला माता मंदिर के पास, लाला का बाजार,
(G-6760) लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम रामनरेश (RAMNARESH) है यही नाम मेरी भू–अधिकार पुस्तिका, समग्र आई.डी. खसरा आदि दस्तावेजों में दर्ज है एवं मेरी हाईस्कूल अंकसूची में मेरा नाम राम नरेश सिंह कुशवाह दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम नरेश (NARESH) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम नरेश (NARESH) राम नरेश सिंह कुशवाह के स्थान पर रामनरेश (RAMNARESH) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(नरेश)	**(रामनरेश)**
(NARESH)	(RAMNARESH)
राम नरेश सिंह कुशवाह	पुत्र– सोनेराम
	निवासी– ग्राम सेठवारी, चैना,
(G-6761)	जिला मुरैना (म.प्र.).

उपनाम परिवर्तन

मेरा सही नाम हेमलता गोयल (HEMLATA GOYAL) है, यही नाम मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरी बैंक पासबुक आदि में मेरा नाम हेमलता अग्रवाल (HEMLATA AGARWAL) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी बैंक पासबुक एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम हेमलता अग्रवाल (HEMLATA AGARWAL) के स्थान पर हेमलता गोयल (HEMLATA GOYAL) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(हेमलता अग्रवाल)	(हेमलता गोयल)
(HEMLATA AGARWAL)	(HEMLATA GOYAL)
	पत्नी– स्व. श्री विष्णु गोयल
	निवासी– मामा का बाजार,
(G-6762)	हैदरगंज, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम तुलसाबाई (TULSABAI) है, यही नाम मेरे वोटर कार्ड, मेरे पति स्व. श्री जीवन लाल शाक्य के पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) आदि दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम तुलसी (TULASI) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम तुलसी (TULASI) के स्थान पर तुलसाबाई (TULSABAI) दर्ज किया के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(तुलसी)	(तुलसाबाई)
(TULASI)	(TULSABAI)
	पत्नी– स्व. श्री जीवन लाल शाक्य
	निवासी– नई बस्ती आंतरी,
(G-6763)	कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम सुषमा सिंह परिहार (SUSHMA SINGH PARIHAR) है, यही नाम मेरे पुराने आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं बैंक पासबुक आदि दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरे द्वारा अपना आधार कार्ड अपडेट कराते समय त्रुटिवश मेरा नाम खिम्मा बानो (KHIMMA BANO) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम खिम्मा बानो (KHIMMA BANO) के स्थान पर सुषमा सिंह परिहार (SUSHMA SINGH PARIHAR) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(खिम्मा बानो)	(सुषमा सिंह परिहार)
(KHIMMA BANO)	(SUSHMA SINGH PARIHAR)
	पत्नी– नरेश सिंह परिहार
	निवासी– 153/1, गोमती की फडी,
(G-6764)	हैदरगंज, लाला का बाजार, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम शीरीन खान (SHIREEN KHAN) है, यही नाम मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों, जाति प्रमाण–पत्र आदि में मेरा नाम बेबी फरीदा (BABY FARIDA) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे शैक्षणिक एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम बेबी फरीदा (BABY FARIDA) के स्थान पर शीरीन खान (SHIREEN KHAN) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(बेबी फरीदा)
(BABY FARIDA)

नया नाम
(शीरीन खान)
(SHIREEN KHAN)
पत्नी– युनूस खान
निवासी– पत्तल वाली गली,
लोहिया बाजार, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-6765)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम अंजली पाल (ANJALI PAL) है, जो कि मेरे वोटर कार्ड, समग्र आई.डी. आदि में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा घरू नाम संगीता पाल (SANGITA PAL) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम संगीता पाल (SANGITA PAL) के स्थान पर अंजली पाल (ANJALI PAL) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(संगीता पाल)
(SANGITA PAL)

नया नाम
(अंजली पाल)
(ANJALI PAL)
पत्नी– ओमप्रकाश पाल
निवासी– 131, खुर्जेवाला मोहल्ला,
दौलतगंज, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-6766)

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम सजेश देवी (SAJESH DEVI) से बदलकर आकांक्षा (AKANKSHA) रख लिया है, यही नाम मेरी पुत्री शुभी गुर्जर के शैक्षणिक दस्तावेजों एवं मेरे स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र आदि में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि दस्तावेजों में मेरा नाम सजेश देवी (SAJESII DEVI) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सजेश देवी (SAJESH DEVI) के स्थान पर आकांक्षा (AKANKSHA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सजेश देवी)
(SAJESH DEVI)

नया नाम
(आंकाक्षा)
(AKANKSHA)
पत्नी– राजा भैया
निवासी– 25, ग्राम खिरिया कडोर,
पोस्ट लहार हवेली, भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.).

(G-6767)

नाम परिवर्तन

मैं, छोटेलाल मेरी पुत्री के आधार कार्ड में नाम सुमन अहिरवार (SUMAN AHIRWAR) गलत अंकित हो गया है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र और शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम खुशी अहिरवार (KHUSHI AHIRWAR) दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का सही नाम खुशी अहिरवार (KUSHI AHIRWAR) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(छोटेलाल)
निवासी– ग्राम आबूपुर, उर्फ कुचोली,
पोस्ट घटेरा, त्योंदा, विदिशा (म.प्र.).

(G-6768)

नाम परिवर्तन

मैं, अब्दुल खाँ मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम करीम खाँ (KARIM KHAN) गलत अंकित हो गया है. मेरे परिचय–पत्र, समग्र आई.डी. में अब्दुल खाँ (ABDUL KHAN) सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा सही नाम अब्दुल खाँ (ABDUL KHAN) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(करीम खाँ)	**(अब्दुल खाँ)**
(KARIM KHAN)	(ABDUL KHAN)
	निवासी– 31, बराखेड़ा,
	विदिशा (म.प्र.).

(G-6769)

नाम परिवर्तन

मैं, राजकुमार मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम रामनारायण (RAMNARAYAN) गलत अंकित हो गया है. मेरे परिचय–पत्र, समग्र आई.डी. में राजकुमार (RAJKUMAR) सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा सही नाम राजकुमार (RAJKUMAR) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रामनारायण)	**(राजकुमार)**
(RAMNARAYAN)	(RAJKUMAR)
	निवासी– म.नं. 10, सगौनिया,
	ग्राम सगौनिया, साचैत, रायसेन (म.प्र.).

(G-6770)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रेम कुशवाहा मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम प्रेमनारायण कुशवाह (PREMNARAYAN KUSHWAH) गलत अंकित हो गया है. मेरे सेवानिवृत्त के कार्यालयीन अभिलेखों में एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम प्रेम कुशवाहा (PREM KUSHWAHA) सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा सही नाम प्रेम कुशवाहा (PREM KUSHWAHA) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रेमनारायण कुशवाह)	**(प्रेम कुशवाहा)**
(PREMNARAYAN KUSHWAH)	(PREM KUSHWAHA)
	निवासी– उदयगिरी, सुनपुरा,
	विदिशा (म.प्र.).

(G-6771)

नाम परिवर्तन

मैं, जगत सिंह पुत्र श्री धीरज सिंह कोरकू, निवासी–बम्हौरी बीका, तहसील सागर, जिला सागर (म.प्र.). मेरा सही नाम जगत सिंह (JAGAT SINGH) है, मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम जगत सिंह कोरकू (JAGAT SINGH KORKU) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम जगत सिंह (JAGAT SINGH) से जाना–पहचाना व सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(जगत सिंह कोरकू)	(जगत सिंह)
(JAGAT SINGH KORKU)	(JAGAT SINGH).

(G-6772)

नाम परिवर्तन

मैं, धरमसिंह चौहान पुत्र श्री चतरू चौहान, निवासी– ग्राम कालापीपल, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरा सही नाम धरमसिंह चौहान (DHARAMSINGH CHOUHAN) है. मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम राधेश्याम (RADHESHYAM) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे नये नाम धरमसिंह चौहान (DHARAMSINGH CHOUHAN) के नाम से जाना–पहचाना व सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्जावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राधेश्याम)	(धरमसिंह चौहान)
(RADHESHYAM)	(DHARAMSINGH CHOUHAN).

(G-6773)

नाम परिवर्तन

मैं पूना यादव पत्नी श्री जंगल प्रशाद यादव, निवासी–म. नं. 06, पटकुई चकरा, पुरानी सदर, तहसील सागर, जिला सागर (म.प्र.) मेरा सही नाम पूना यादव (POONA YADAV) है, मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम पुनिया बाई यादव (PUNIYA BAI YADAV) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे नये नाम पूना यादव (POONA YADAV) से जानी–पहचानी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(पुनिया बाई यादव)	(पूना यादव)
(PUNIYA BAI YADAV)	(POONA YADAV).

(G-6774)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम वंदना अहीर है, जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज, सर्विस रिकॉर्ड, बैंक आदि दस्तावेजों में दर्ज है. मैंने अपना उपनाम पहाड़िए (PAHADIA) जो त्रुटिवश अंकित हो गया था, उसके स्थान पर अहीर (AHIR) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे वंदना पहाड़िए के स्थान पर वंदना अहीर के नाम से ही जाना–पहचाना, पढ़ा–लिखा जाए तथा शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं समस्त दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(वंदना पहाड़िए)	(वंदना अहीर).

(G-6775)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम अनिरूद्ध अहीर है, जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज, बैंक आदि दस्तावेजों में दर्ज है. मैंने अपना उपनाम पहाड़िए (PAHADIA) जो त्रुटिवश अंकित हो गया था, उसके स्थान पर अहीर (AHIR) कर लिया है, अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे अनिरूद्ध पहाड़िए के स्थान पर अनिरूद्ध अहीर के नाम से ही जाना–पहचाना, पढ़ा–लिखा जाए तथा शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं समस्त दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अनिरूद्ध पहाड़िए)

नया नाम
(अनिरूद्ध अहीर).

(G-6776)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम रूतविक चटप (RUTVIK CHATAP) पिता धनराज चटप, निवासी– मांगुरली, पोस्ट– सवरनी, तहसील सौंसर, जिला पांढुर्णा (म.प्र.). मेरा नाम शालेय एवं अन्य दस्तावेजों में रूतविक चटप (RUTVIK CHATAP) पिता धनराज चटप दर्ज है, परंतु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम रितिक चटप भूलवश दर्ज हुआ है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरा नया नाम "रूतविक चटप (RUTVIK CHATAP) पिता धनराज चटप" के नाम से समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे,

पुराना नाम
(रितिक चटप)

नया नाम
(रूतविक चटप)
(RUTVIK CHATAP)
पिता– धनराज चटप.

(G-6777)

नाम परिवर्तन

मैं, संतोष कुमार पाटीदार, मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम संतोष पाटीदार दर्ज हो गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. जबकि मेरे वोटर आई.डी. कार्ड व स्कूल मार्कशीट व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम संतोष कुमार पाटीदार है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड व सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम संतोष कुमार पाटीदार (SANTOSH KUMAR PATIDAR) से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(संतोष पाटीदार)

नया नाम
(संतोष कुमार पाटीदार)
पिता– कैलाश चंद्र पाटीदार
निवासी– ग्राम कपालिया,
जिला शाजापुर (म.प्र.).

(G-6778)

नाम परिवर्तन

मैं, आशा बाई पति ईश्वर सिंह गुर्जर, निवासी– ग्राम बिरगोद, तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम अन्जु बाई पति का नाम ईश्वर सिंह कराडा अंकित है, जो कि गलत है. जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम आशा बाई पति ईश्वर सिंह गुर्जर है, जो कि सही है. मैं, अपने आधार कार्ड में अपना नाम आशा बाई पति ईश्वर सिंह गुर्जर (ASHA BAI W/o. ISHWAR SINGH GURJAR) अंकित करवाना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे नये नाम आशा बाई पति ईश्वर सिंह गुर्जर के नाम से शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अन्जु बाई)
पति– ईश्वर सिंह कराडा

नया नाम
(आशा बाई)
पति– ईश्वर सिंह गुर्जर.

(G-6779)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र रितेशसिंह परिहार पिता भगवान सिंह परिहार, निवासी– ग्राम बगोदा पो. पनवाडी, तहसील मो. बडोदिया, जिला शाजापुर (म.प्र.) का जन्म प्रमाण–पत्र, स्कूल के सभी दस्तावेजों में सही नाम रितेशसिंह परिहार (RITESH SINGH PARIHAR) अंकित है, जबकि आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम देवसिंह अंकित है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का सही नाम रितेशसिंह परिहार (RITESH SINGH PARIHAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक
(भगवान सिंह परिहार).

(G-6780)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेन्द्र सिंह सोलंकी पिता भगवान सिंह सोलंकी, मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में परमिंद सिंह सोलंकी दर्ज हो गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र एवं स्कूल की मार्कशीट व अन्य दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम प्रवीण सिंह राजपूत है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में उसका सही नाम प्रवीण सिंह राजपूत (PRAVEEN SINGH RAJPUT) से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(राजेन्द्र सिंह सोलंकी)
पिता– भगवान सिंह सोलंकी
पता– म.नं. 99, वार्ड नं. 7,
नीम के पेड़ के पास, मोतीसेरी,
सेमलीचाचा, जिला शाजापुर (म.प्र.).

(G-6781)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम नंदू लाल चौधरी (NANDU LAL CHOUDHARY) है. मेरे पुत्र सचिन चौधरी की अंकसूची में मेरा नाम त्रुटिवश नंदकिशोर चौधरी (NANDKISHORE CHOUDHARY) लिखा हुआ है, किन्तु मेरा सही नाम नंदू लाल चौधरी (NANDU LAL CHOUDHARY) है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम नंदू लाल चौधरी (NANDU LAL CHOUDHARY) के नाम से जाना–पहचाना व शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(नंदु लाल चौधरी)
पिता– बद्रीलाल चौधरी
पता– ग्राम अमलावद बिका,
तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.).

(G-6782)

नाम परिवर्तन

मैं, नागेन्द्र सिंह पिता वंशपति सिंह, निवासी–ग्राम अतरहरा, पोस्ट पहाड़ी, थाना व तहसील मैहर, जिला मैहर (म.प्र.). मेरे पुत्र के समग्र आई.डी. व जन्म प्रमाण–पत्र में उसका नाम ज्ञानेन्द्र सिंह पिता नागेन्द्र सिंह दर्ज है, जबकि उसके आधार कार्ड में उसका नाम राजवीर सिंह पिता नागेन्द्र सिंह दर्ज है, उपरोक्त दोनों नाम मेरे एक ही पुत्र के नाम है. अतः प्रकाशन उपरांत उसका सही नाम ज्ञानेन्द्र सिंह पिता नागेन्द्र सिंह के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक
(नागेन्द्र सिंह)
पिता– वंशपति सिंह.

(G-6783)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम मनीष कटारा पिता दिनेश कटारा, निवासी– ग्राम दन्तोली, पोस्ट लेडगॉव, तहसील सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.). मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में सही नाम मनीष कटारा दर्ज है. जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश राम अंकित हो गया है. जो गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम मनीष कटारा के नाम से जाना–पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

आवेदक
(दिनेश कटारा).

(G-6784)

नाम परिवर्तन

मैं, अनुराग द्विवेदी पिता श्री मनोज द्विवेदी, निवासी– ग्राम अतरहरा, थाना व तहसील मैहर, जिला मैहर (म.प्र.). मेरे समग्र आई.डी., जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम अनुराग द्विवेदी पिता मनोज द्विवेदी दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम ऋषिकेश द्विवेदी पिता मनोज द्विवेदी दर्ज है, उपरोक्त दोनों मेरे ही नाम हैं, मेरे समग्र आई.डी., जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों तथा आधार कार्ड में भिन्न–भिन्न नाम दर्ज होने के कारण कार्यों में असुविधा हो रही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे समग्र आई.डी., जन्म प्रमाण–पत्र तथा शैक्षणिक दस्तावेजों के अनुसार मेरे आधार कार्ड में अपना नाम अनुराग द्विवेदी पिता श्री मनोज द्विवेदी के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(अनुराग द्विवेदी)
पिता– श्री मनोज द्विवेदी.

(G-6785)

नाम परिवर्तन

मैं, महेन्द्र सिंह पिता वंशपति सिंह, निवासी– ग्राम अतरहरा, पोस्ट पहाड़ी, थाना व तहसील मैहर, जिला मैहर (म.प्र.). मेरी पुत्री के समग्र आई.डी., जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका नाम सुहानी सिंह पुत्री महेन्द्र सिंह दर्ज है, जबकि उसके आधार कार्ड में उसका नाम सोनाली सिंह पुत्री महेन्द्र सिंह दर्ज है, उपरोक्त दोनों मेरी एक ही पुत्री के नाम हैं, मेरी पुत्री के समग्र आई.डी., जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तोवजों तथा आधार कार्ड में भिन्न–भिन्न नाम दर्ज होने के कार्यों में असुविधा हो रही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के समग्र आई.डी., जन्म प्रमाण–पत्र तथा शैक्षणिक दस्तावेजों के अनुसार उसके आधार कार्ड में उसका नाम सुहानी सिंह पुत्री महेन्द्र सिंह के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(महेन्द्र सिंह)
पिता– वंशपति सिंह.

(G-6786)

नाम परिवर्तन

मैं, मुकेश राठौड़ पिता मोहनलाल राठौड़, निवासी– ग्राम पलसोड़ा, जिला रतलाम (म.प्र.). मेरी पत्नी राधा राठौड़ है. मेरे पुत्र दर्श राठौड़. मेरे पुत्र को घर पर अक्षत भी बोलते थे. इस कारण आधार कार्ड में अक्षत नाम अंकित करवा दिया गया था. मेरे नाबालिग पुत्र का नाम दर्श राठौड़ है. जिसका स्कूल प्रवेश में भी उक्त नाम अंकित है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम जहाँ कहीं भी अक्षत अथवा अक्षत राठौड़ अंकित हो वहां–वहां पर दर्श राठौड़ के नाम से जाना–पहचाना जावे और शासकीय व अर्द्धशासकीय रिकार्ड में दर्ज किया जावे.

आवेदक
(मुकेश राठौड़)
पिता– मोहनलाल राठौड़.

(G-6787)

नाम परिवर्तन

मैं, हरिशंकर पिता राजनारायण, निवासी– 25, नल के पास, बम्हनी निरदापुर, जबलपुर (म.प्र.). मेरी पुत्री के समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में उसके आधार कार्ड में नाम क्षमा तिवारी है, जो कि गलत है. उसका सही नाम महक तिवारी जो कि समस्त शिक्षा संबंधी एवं अन्य दस्तावेज में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के समस्त शिक्षा संबंधी शासकीय, अशासकीय, विभागीय एवं वित्तीय संस्थाओं में नाम (महक तिवारी) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(हरिशंकर)
पिता– राजनारायण.

(G-6788)

नाम परिवर्तन

मैं, गुलाबी बाई पति लालु जी, निवासी– ग्राम लुहारी, तहसील जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.). मेरा सही नाम गुलाबी बाई है, जो कि मेरे वोटर आई.डी. एवं अन्य शासकीय दस्तावेजों में भी गुलाबी बाई अंकित है, किन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश गुलाब बाई हो गया है, आधार कार्ड में गुलाब बाई की जगह पर गुलाबी बाई किया जाना है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त दस्तावेजों में गुलाब बाई की जगह गुलाबी बाई लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(गुलाब बाई)

नया नाम
(गुलाबी बाई)
पति– लालुजी.

(G-6789)

नाम परिवर्तन

मैं, रामसिया मेहरा पत्नी श्री नेतराम मेहरा, निवासी– ग्राम पापड़ा, पोस्ट पड़रिया, राजधार, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम रश्मि मेहरा (RASHMI MEHRA) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम ऋष्मि चढार अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम रश्मि मेहरा (RASHMI MEHRA) के नाम से जानी–पहचानी जायेगी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का यही नाम रहेगा.

आवेदिका
(रामसिया मेहरा).

(G-6790)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम गया प्रसाद है और मैं, इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाता हूँ एवं मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं मेरे सभी आवश्यक दस्तावेजों में भी मेरा नाम गया प्रसाद ही अंकित है. मैं, अपना नाम गया प्रसाद से बदलकर हल्के शाक्या में परिवर्तित करना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे हल्के शाक्या के नाम से जाना एवं पहचाना जावे एवं मेरे सभी आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेजों में मेरा नाम हल्के शाक्या ही अंकित किया जावे.

पुराना नाम
(गया प्रसाद)

नया नाम
(हल्के शाक्या).

(G-6791)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड, परिचय–पत्र, राशन कार्ड, समग्र आई.डी. स्थायी निवास–ग्राम पंचायत के प्रमाण–पत्र में मेरा नाम कौशल्य पंवार पति छोटू पंवार दर्ज है, जो कि सही है. जबकि राजस्व अभिलेख ग्राम करजगांव प.ह.नं. खड़ला तह. जिला बैतूल में मेरा नाम सगन बाई पिता बिहारी दर्ज है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे कौशल्या पवार पति छोटू पंवार नाम से जानी–पहचानी एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सगन बाई)
पिता– बिहारी

नया नाम
(कौशल्या पवार)
पत्नी– छोटू पवार
निवासी– ग्राम टेमझिरा, सांईखेड़ा,
जिला बैतूल (म.प्र.).

(G-6792)

नाम परिवर्तन

मैं, स्वाति कहार पिता श्री अरुण कहार, निवासी– लावाघोघरी, तहसील मोहखेड़, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.). मेरे घर का नाम रानी कहार है. जो मेरे आधार कार्ड में दर्ज है. मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम स्वाति कहार दर्ज है जो मेरी 10वीं की अंकसूची व जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड में रानी कहार के स्थान पर स्वाति कहार दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी
(स्वाति कहार)
पिता– श्री अरुण कहार.

(G-6793)

नाम परिवर्तन

मैं, सुमित्रा पाल उर्फ सुशिला पाल पति देवी पाल, निवासी– ग्राम सिहोरा माल, पोस्ट झिलमिली, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.). मेरा घर का प्रचलित नाम सुशिला पाल तथा सही नाम सुमित्रा पाल पति देवी पाल है, जो दोनों ही नाम मेरे हैं. प्रकाशन के बाद मेरे स्वर्गीय पति देवी पाल के बचत खाते में वारसान के रूप में मेरा नाम सुशिला पाल दर्ज है. जिसे सुधार कर मैं, सुमित्रा पाल करवाना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम सुमित्रा पाल के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सुशिला पाल)

नया नाम
(सुमित्रा पाल).

(G-6794)

नाम परिवर्तन

विवाह के पूर्व मेरा नाम उज्वला था. जो कि मेरे शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजो में दर्ज है, विवाह के पश्चात् मेरा नाम रश्मि ढुमने हो गया है, जो कि दोनों नाम मेरे ही हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे रश्मि ढुमने के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम
(उज्वला)

नया नाम
(रश्मि ढुमने).

(G-6795)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में सागर पिता बलवीर सिंह मेंहदोले अंकित है. जबकि मेरे सुपुत्र का सही नाम क्रिश मेंहदोले पिता बलवीर सिंह मेंहदोले है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को इसी नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदक

(बलवीर सिंह मेंहदोले).

(G-6796)

नाम परिवर्तन

मैं, शांतिलाल पिता तोलिया जाति भील, निवासी–ग्राम बड़ीनाल, तहसील पिपलौदा, जिला रतलाम (म.प्र.). मेरे पुत्र का जन्म नाम बहादुर मईड़ा पिता शांतिलाल है, किन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश नारायण मईड़ा अंकित हो गया है, अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के आधार कार्ड में नारायण मईड़ा की जगह बहादुर मईड़ा के नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदक

(शांतिलाल)

पिता– तोलिया.

(G-6797)

नाम परिवर्तन

मैं, संतोष समाधिया आत्मज श्री राम सनेही, निवासी– ग्राम पोस्ट एतेहार, भिण्ड, जिला भिण्ड (म.प्र.). मेरा सही नाम संतोष समाधिया है, मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम संतोष कुमार शर्मा अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा सही नाम संतोष समाधिया के नाम से जाना–पहचाना जावेगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम

(संतोष कुमार शर्मा)

नया नाम

(संतोष समाधिया).

(G-6798)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रहलाद रघुवंशी पुत्र श्री पूरन सिंह रघुवंशी, मेरे पुत्र के शासकीय दस्तावेजों, आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अनिरूद्ध अंकित हो गया है. मेरे पुत्र ने अपना नाम परिवर्तन कर गोविन्द रघुवंशी कर लिया गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम अनिरूद्ध रघुवंशी के स्थान पर गोविन्द रघुवंशी नाम पढ़ा जावे.

आवेदक

(प्रहलाद सिंह रघुवंशी)

पुत्र– पूरन सिंह

निवासी– ग्राम इकोदिया, पोस्ट देहरी,

तहसील सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-6799)

नाम परिवर्तन

मैं, अलताब कुरैशी, मेरे सर्विस रिकार्ड में प्रथम पृष्ठ पर मेरा नाम त्रुटिवश अलताप कुरैशी दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही नाम अलताब कुरैशी है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सर्विस रिकार्ड के प्रथम पृष्ठ पर अलताप कुरैशी के स्थान पर अलताब कुरैशी दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अलताब कुरैशी).

(G-6800)

नाम परिवर्तन

मैं, भारतसिंह देवड़ा पिता मांगुसिंह जी देवड़ा, निवासी– ग्राम रणायरा, तहसील जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम विजेन्द्रसिंह देवड़ा पिता भारतसिंह देवड़ा है, किन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश नेगेन्द्र सिंह हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के आधार कार्ड में नेगेन्द्र सिंह की जगह विजेन्द्रसिंह देवड़ा के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(भारतसिंह देवड़ा)
पिता– मांगुसिंह जी देवड़ा.

(G-6801)

उपनाम परिवर्तन

मैं, अजय सिंह (Ajay Singh) पुत्र श्री प्रेम सिंह ठाकुर, निवासी–110, मंगल चंडी माता मंदिर के पास, उत्तर मिलौनिगंज, जबलपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड एवं अन्य शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम अजय सिंह (Ajay Singh) दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र/पुत्रियों के शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम अजय सिंह ठाकुर (Ajay Singh Thakur) दर्ज है. अजय सिंह एवं अजय सिंह ठाकुर दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे अजय सिंह (Ajay Singh) के स्थान पर अजय सिंह ठाकुर (Ajay Singh Thakur) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अजय सिंह)
(Ajay Singh)

नया नाम
(अजय सिंह ठाकुर)
(Ajay Singh Thakur)
पिता– श्री प्रेम सिंह ठाकुर.

(G-6802)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सुमन रामचंदानी, पत्नी श्री जैकी रामचंदानी, निवासी B-NEW 25, QUARTER NO.- 35, निरंकारी मंडल रोड, बाबा रामदास मंदिर के पास, बैरागढ़, भोपाल (म.प्र.). मेरे विवाह पूर्व नाम "सुमन खत्री" पुत्री श्री बादलदास था. विवाह के उपरांत मेरे कुछ दस्तावेजों में नाम "वंशिका रामचंदानी" अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मैं, अपना नाम "सुमन रामचंदानी" ही उपयोग करूंगी और सभी अभिलेखों, प्रमाण–पत्रों एवं शासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम मान्य होगा.

प्रार्थिनी
(सुमन रामचंदानी).

(G-6803)

नाम परिवर्तन

मैं, नवीन तिलक पिता श्री बंशीलाल, निवासी– 83, ग्राम बड़झिरी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पहचान–पत्र, बैंक दस्तावेज, समग्र आई.डी. आदि में मेरा नाम नवीन तिलक पिता श्री बंशीलाल अंकित है, जबकि कुछ संपत्ति संबंधी दस्तावेजों में मेरा नाम नवीन चंद्र कुमार पिता श्री बंशीलाल दर्ज है. नवीन तिलक तथा नवीन चंद्र कुमार दोनों नाम मेरे यानि एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे "नवीन तिलक पिता श्री बंशीलाल" के नाम से ही जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(नवीन चंद्र कुमार)

नया नाम
(नवीन तिलक).

(G-6804)

उपनाम परिवर्तन

मैं, जुबैर खान आ. ताज खान, निवासी–वार्ड क्र. 13, ग्राम अतवास, जिला देवास (म.प्र.). मेरा सही नाम जुबैर खान (ZUBAIR KHAN) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम जुबेर (Juber) अंकित हो गया है, अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम जुबैर खान (ZUBAIR KHAN) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यहीं नाम रहेगा.

पुराना नाम	नया नाम
(जुबेर)	(जुबैर खान)
(Juber)	(ZUBAIR KHAN).

(G-6805)

नाम परिवर्तन

मैं, तुलसाबाई पत्नी श्री नंदराम, निवासी–ग्राम ढकना–चपना, सलामतपुर जिला रायसेन (म.प्र.). मेरा सही नाम तुलसा बाई (TULSA BAI) है, मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम दमयन्ती (Damyanti) अंकित हो गया है, अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम तुलसा बाई (TULSA BAI) के नाम से जानी–पहचानी जाऊंगी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यहीं नाम रहेगा.

पुराना नाम	नया नाम
(दमयन्ती)	(तुलसा बाई)
(Damyanti)	(TULSA BAI).

(G-6806)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम अमित सिंह है जो मेरी दसवीं की मार्कसीट में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा घरू नाम मनु दर्ज है. अमित सिंह और मनु दोनों नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त मार्कशीट एवं जन्म प्रमाण–पत्र और आदि में मेरा नाम मनु (MANU) के स्थान पर अमित सिंह (AMIT SINGH) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मनु)	(अमित सिंह)
(MANU)	(AMIT SINGH)
	पिता– रमेश
	निवासी– ग्राम बरोना,
	पोस्ट तहसील गोहद,
	जिला भिण्ड (म.प्र.).

(G-6807)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम जल कुमारी है, जो मेरे पति स्व. कदम सिंह यादव के पेंशन पेमेंट ऑर्डर आदि में दर्ज है. जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा घरू नाम रामबती यादव दर्ज है. रामबती यादव और रामरती यादव दोनों नाम मुझ एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रामबती यादव (RAMBATI YADAV) के स्थान पर रामरती यादव के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रामबती यादव)	(रामरती यादव)
(RAMBATI YADAV)	(RAMRATI YADAV)
	पति– स्व. कदम सिंह यादव
	निवासी– ग्राम पतरियापुरा, पोस्ट पिछोर,
	डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-6808)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम मनोज शर्मा (MANOJ SHARMA) है, यही नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर कार्ड आदि में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मानव शर्मा (MANAV SHARMA) दर्ज हो गया है. मनोज शर्मा (MANOJ SHARMA) और मानव शर्मा (MANAV SHARMA) दोनों नाम मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम मानव शर्मा (MANAV SHARMA) के स्थान पर मनोज शर्मा (MANOJ SHARMA) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मानव शर्मा)	**(मनोज शर्मा)**
(MANAV SHARMA)	(MANOJ SHARMA)
	पुत्र– रमेश चन्द्र शर्मा
	निवासी– नई शंकर पुरी कॉलोनी,
(G-6809)	गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम जल कुमारी है, जो कि मेरे पति स्व. शिवदान सिंह परिहार के पेंशन पेमेन्ट ऑर्डर आदि में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम उषा परिहार दर्ज है. उषा परिहार और जल कुमारी दोनों नाम मुझ एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम उषा परिहार (USHA PARIHAR) के स्थान पर जल कुमारी (JAL KUMARI) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(उषा परिहार)	**(जल कुमारी)**
(USHA PARIHAR)	(JAL KUMARI)
	पति– स्व. शिवदान सिंह
	निवासी– न्यू राम बिहार कॉलोनी,
(G-6810)	पिन्टो पार्क, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम पूर्व में मिस्बा शेख पिता परवेज़ शेख, निवासी– 6, कदर कॉलोनी, खजराना, इन्दौर (म.प्र.). मेरे जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित है और मैं, इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाता था. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम मिन्शा शेख पिता परवेज़ शेख के नाम से जानी–पहचानी एवं मेरे सभी शासंकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरे नाम को दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मिस्बा शेख)	**(मिन्शा शेख)**
	पिता– परवेज़ शेख.

(G-6811)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम पूर्व में राजा बर्मन पिता गणेशप्रसाद बर्मन, निवासी– वार्ड क्रमांक– 2, कुदान पाटन, कटंगी, जबलपुर (म.प्र.). के नाम से जाना एवं पहचाना जाता था. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे बलराम बर्मन पिता गणेशप्रसाद बर्मन के नाम से जाना–पहचाना एवं मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरे नाम को दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राजा बर्मन)	**(बलराम बर्मन)**
	पिता– गणेशप्रसाद बर्मन.

(G-6812)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम रितिक मालवीय आत्मज राजकुमार मालवीय, निवासी–113, चँदबड़, चँदबड़ चांदबड़ रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम कृतिक मालवीय (Kritik malviya) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे अंकसूची में मेरा सही नाम रितिक मालवीय (Ritik malviya) दर्ज है. यह कि रितिक मालवीय (Ritik malviya) एवं कृतिक मालवीय (Kritik malviya) अंकित दोनों एक ही व्यक्ति हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम रितिक मालवीय (Ritik malviya) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(कृतिक मालवीय)
(Kritik malviya)

नया नाम
(रितिक मालवीय)
(Ritik malviya).

(G-6813)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम वेदांश राजपूत पुत्र सतपाल सिंह राजपूत (vedansh rajput S/o. satpal singh rajput), निवासी– मकान नंबर 50, वार्ड नंबर 02, ग्राम पेंवची, तहसील शुजालपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम श्रियांश पुत्र सतपाल सिंह राजपूत (shriyansh S/o. satpal singh rajput) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. वेदांश राजपूत पुत्र सतपाल सिंह राजपूत व श्रियांश पुत्र सतपाल सिंह राजपूत दोनों एक ही व्यक्ति हैं. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम वेदांश राजपूत पुत्र सतपाल सिंह राजपूत (vedansh rajput S/o. satpal singh rajput) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक
(सतपाल सिंह राजपूत)
पुत्र– मानसिंह.

(G-6814)

नाम परिवर्तन

मैं, बृजेन्द्र नापित, निवासी– ग्राम पोस्ट गाड़ा, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी (म.प्र.). मेरी पुत्री कोमल नापित का नाम आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण सीतांजलि सेन दर्ज हो गया है. जबकि मेरी पुत्री के हाईस्कूल समेत सभी शैक्षणिक रिकार्ड में सही नाम कोमल नापित ही दर्ज है. अतः प्रकाशन उपसांत मेरी पुत्री का सही नाम कोमल नापित पिता बृजेन्द्र नापित दर्ज किया जावे.

आवेदक
(बृजेन्द्र नापित).

(G-6815)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम संजय बिंधिया आत्मज शंकर सिंह बिंधिया (SANJAY BINDHIYA S/o. SHANKAR SINGH BINDHIYA) है, परन्तु उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश बालकराम (BALAKRAM) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम संजय बिंधिया आत्मज शंकर सिंह बिंधिया (SANJAY BINDHIYA S/o. SHANKAR SINGH BINDHIYA) जो उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. मेरे पुत्र का सही नाम मेरे आधार कार्ड में दर्ज है. संजय बिंधिया आत्मज शंकर सिंह बिंधिया (SANJAY BINDHIYA S/o. SHANKAR SINGH BINDHIYA) व बालकराम (BALAKRAM) यह दोनों एक ही व्यक्ति हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को संजय बिंधिया आत्मज शंकर सिंह बिंधिया (SANJAY BINDHIYA S/o. SHANKAR SINGH BINDHIYA) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(शंकर सिंह)
आत्मज– रतन सिंह
निवासी– ग्राम पोडी, वनग्राम जदसुरंग रीत,
डिंडोरी (म.प्र.).

(G-6816)

नाम परिवर्तन

मैं, शोभा वर्मा पति सतीश वर्मा (Shobha verma W/o. Satish verma), मेरे आधार कार्ड, समग्र आई.डी. अन्य दस्तावेजों मे मेरा नाम शोभा वर्मा पति सतीश वर्मा (Shobha verma W/o. Satish verma) दर्ज है. मैं अपना नाम बदलकर पिंकी वर्मा पति सतीश वर्मा (Pinki verma W/o. Satish verma) कर रही हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे शोभा वर्मा पति सतीश वर्मा (Shobha verma W/o. Satish verma) के स्थान पर मुझे नये नाम पिंकी वर्मा पति सतीश वर्मा (Pinki verma W/o. Satish verma) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(शोभा वर्मा)
(Shobha Verma)

नया नाम
(पिंकी वर्मा)
(Pinki Verma)
पति– सतीश वर्मा
W/o. Satish verma.
पता– नंदा नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-6817)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम स्मिता गलांडे है, जो मेरे सभी दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम लीला बाई लिखा हुआ है, जो कि मेरा घर में बोला जाने वाला नाम था. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे लीला बाई के स्थान पर मेरा सही नाम स्मिता गलांडे लिखा व पढ़ा व शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(लीला बाई)
(Lila BAI)

नया नाम
(स्मिता गलांडे)
(Smita Galande)
पति– प्रभाकर गलांडे
निवासी– 391ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर,
सुखलिया, इन्दौर (म.प्र.).

(G-6818)

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that, my maiden name was Sweety Kailash Chandra Agrawal but after my marriage we have changed it from Sweety Kailash Chandra Agrawal To Sweety Sharma. Henceforth I, shall be known as Sweety Sharma for all purposes including my share certificate.

Old Name
(Sweety Kailash Chandra Agrawal)

New Name
(Sweety Sharma)
Add.- 187, Tejaji Chowk Near Hanuman
Mandir, Nemawar Road, Palda, Indore (M.P.).

(G-6819)

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that, my correct name and surname is Anusuya Dhoot. But in some of my documents (Share certificate) my Name and surname was written as Ansuya Dhoot, and some where else Ansuya Bang. So I, want to correct it as a single name Anusuya Dhoot. Henceforth my name shall be read and written as Anusuya Dhoot for all purposes.

Old Name
(Ansuya Bang)
(Ansuya Dhoot)

New Name
(Anusuya Dhoot)
W/o.- Sampat Dhoot
Add.- 310 A, Gumasta Nagar,
Indore (M.P.).

(G-6820)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम देवकन्या बाई है. जो कि मेरे दस्तावेजों पर लिखा हुआ है, किन्तु मेरे आधार कार्ड सहित अन्य कुछ दस्तावेजों में मेरा गलत नाम देवका बाई लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे मेरे आधार कार्ड सहित समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम देवका बाई के स्थान पर मेरा सही नाम देवकन्या बाई ही लिखा व पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(देवका बाई)

नया नाम
(देवकन्या बाई)
निवासी– 181, खण्डवा रोड, तेजाजी नगर,
कैलोद कर्तल, इन्दौर (म.प्र.).

(G-6821)

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that, my correct name and surname is Prakash Bothra. But in some of my documents my Name and surname was written as Prakash Chandra Bothra, Prakash Bothara, Prakash Chand, Prakash Chandra, and some where PrakashChandra Bothara. So I, want to correct it as a single name Prakash Bothra. Henceforth my name shall be read and written as Prakash Bothra for all purposes.

Old Name
(Prakash Chandra Bothara)
(Prakash Bothara)
(Prakashchandra)

New Name
(Prakash Bothra)
S/o. Keshri Mal Bothra
Add.- 40, Namak Mandi,
Chappanbheru ki Gali,
Ujjain (M.P.).

(G-6822)

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that, my correct name and surname is Premlata Lahoti. But in some of my documents (Share certificate) my Name and surname was written as Prabha Lahoti and some where Prabha Devi Lakoty. So I, want to correct it as a single name Premlata Lahoti. Henceforth my name shall be read and written as Premlata Lahoti for all purposes.

Old Name
(Prabha Lohati)
(Prabha Devi Lakoty)

New Name
(Premlata Lahoti)
W/o. Jai Prakash Lahoti
Add.- F.No. 202, 422 Usha Nagar,
Extt., Indore (M.P.).

(G-6823)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम उपनाम सहित कृष्णा देवी पाटनवाला है, किन्तु मेरे आधार कार्ड पर मेरा नाम कृष्णन देवी एवं अन्य कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम कृष्णादेवी लिखा हुआ है जो कि गलत नाम है. अतः प्रकाशन उपरांत आधार कार्ड सहित मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम कृष्णा देवी पाटनवाला ही लिखा व पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(कृष्णन देवी / कृष्णादेवी)
(KRISHNAN DEVI / KRISHNA DEVI)

नया नाम
(कृष्णा देवी पाटनवाला)
(Krishna Devi Patanwala)
पता– इन्दौर रोड 2833 बी, यादव मोहल्ला
महू, इन्दौर (म.प्र.).

(G-6824)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम पूर्व में रविन्द्र सिंह राजपूत पुत्र दामोदर सिंह राजपूत (Ravindra Singh Rajput S/o. Damodar Singh Rajput) था जिसे सुधार करके अथवा अपना उपनाम हटाकर रविन्द्र सिंह पुत्र दामोदर सिंह (Ravindra Singh S/o. Damodar Singh) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम रविन्द्र सिंह पुत्र दामोदर सिंह (Ravindra Singh S/o. Damodar Singh) ही लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(रविन्द्र सिंह राजपूत)
पुत्र– दामोदर सिंह राजपूत

नया नाम
(रविन्द्र सिंह)
पुत्र– दामोदर सिंह
पता– डी–5, प्रेम निवास टी.आर. पुरम,
मुरैना (म.प्र.).

(G-6825)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम नरेन्द्र दमेले आत्मज श्री नर्मदा प्रसाद दमेले है. मेरे पुत्र का नाम हनी दमेले है. मेरे पुत्र के समस्त दस्तावेजों में उसका नाम हनी दमेले पुत्र श्री नरेन्द्र दमेले चला आ रहा है. अतः प्रकाश उपरांत मैं,अपने पुत्र का नाम परिवर्तन कर उसका सही नाम निवान दमेले (NIVAAN DAMELE) पुत्र श्री नरेन्द्र दमेले (NARENDRA DAMELE) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

आवेदक
(नरेन्द्र दमेले).

(G-6826)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम ब्रज मोहन गाबरा पुत्र श्री प्रवीण कुमार गाबरा जो कि जन्म के समय से चला आ रहा है, उक्त नाम को परिवर्तित कर ब्रज गाबरा पुत्र श्री प्रवीण कुमार गाबरा चाहता हूँ अतः मेरे नाम को परिवर्तित कर ब्रज गाबरा पुत्र श्री प्रवीण कुमार गाबरा, ही जाना जावे. अतः प्रकाशन उपरांत से मेरा नाम ब्रज मोहन गाबरा के स्थान पर मेरा नाम ब्रज गाबरा (BRIJ GABRA) पुत्र श्री प्रवीण कुमार गाबरा (PRAVEEN KUMAR GABRA) ही रहेगा एंव मेरे सभी दस्तावेजों में आधार कार्ड, स्कूल आदि में यह नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(ब्रज मोहन गाबरा)
(BRIJ MOHAN GABRA)

नया नाम
(ब्रज गाबरा)
(BRIJ GABRA)
पुत्र– श्री प्रवीण कुमार गाबरा
निवासी– म.नं. 8–बी, हरिओम कालोनी, मुरार
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-6827)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स रामादि कंस्ट्रक्शन, पता– 996/के, न्यू शास्त्री नगर, गढ़ा, जबलपुर (म.प्र.).– 482003 में स्थित है. जिसका पंजीयन क्र. 04–14–01–0139–19, दिनांक 21/10/2019 है यह कि, संशोधित भागीदारी अभिलेख, दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को इस भागीदारी फर्म से श्री रमेश करसोलिया पुत्र श्री राम विजय करसोलिया, निवासी–37, ग्राम–झामर, तहसील पाटन, पोस्ट उदना, झामर, मेढ़ी, जबलपुर (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से बाहर हो गये हैं और श्रीमती अंजू गोंटिया पत्नी श्री अशोक गोंटिया, निवासी– 996/के, न्यू शास्त्री नगर, गढ़ा, जबलपुर (म.प्र.) को आपसी सहमति से इस भागीदारी फर्म में शामिल किया गया है. शेष भागीदार यथावत् हैं.

मेसर्स रामादि कंस्ट्रक्शन
आदित्य राज गोंटिया
(भागीदार)
पता– 996/के, न्यू शास्त्री नगर,
गढ़ा, जबलपुर (म.प्र.).

(G-6828)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेसर्स आदि कंस्ट्रक्शन जिसका पंजीयन क्रमांक 02–47–01–0054–21, दिनांक 14.06.2021 को फर्म्स एवं सोसायटी कार्यालय ग्वालियर द्वारा पंजीकृत की गई थी यह कि उक्त फर्म में दिनांक 26.09.2025 को संशोधित किया गया है. जिसमे भागीदारी के रूप में भागीदार क्रमांक 1. श्री सुभाष यादव पुत्र श्री जसवंत सिंह यादव, निवासी– सहोदरी, पोस्ट डंगोरा, फूट अशोक नगर, क्रमांक 2. श्री अभिराज यादव पुत्र श्री राजपाल यादव, निवासी– ग्राम अमरोद, पोस्ट डंगोरा फूट, अशोक नगर, क्रमांक 3. श्री आदित्य यादव पुत्र वीर सिंह यादव, निवासी– ग्राम अमरोद, पोस्ट डंगोरा फूट, अशोक नगर सम्मिलित थे. जिसमे भागीदर क्रमांक 3. श्री आदित्य यादव पुत्र वीर सिंह यादव, निवासी– ग्राम अमरोद, पोस्ट डंगोरा फूट, अशोक नगर का साझेदारी फर्म से स्वेच्छापूर्ण पृथक् हो रहे हैं. अतः अब नवीन संशोधित साझेदारी पत्रक दिनांकित 26.09.2025 भागीदार क्रमांक 1. श्री सुभाष यादव पुत्र श्री जसवंत सिंह यादव, निवासी– सहोदरी, पोस्ट डंगोरा फूट, अशोक नगर, भागीदार क्रमांक 2. श्री अभिराज यादव पुत्र श्री राजपाल यादव, निवासी– ग्राम अमरोद, पोस्ट डंगोरा फूट, अशोक नगर फर्म मे साझेदार होना तय किया गया है एवं तदानुसार साझेदारी फर्म मेसर्स आदि कंस्ट्रक्शन में उपरोक्तानुसार दो पार्टनर्स हो गए हैं और यह साझेदारी दिनांक 26.09.2025 से प्रभावी हो गई है.

मेसर्स आदि कंस्ट्रक्शन
सुभाष
(भागीदार)
पता– नियम स्वामी विवेकानंद स्कूल,
कौलुआ रोड, अशोक नगर (म.प्र.).

(G-6829)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म आर. के. ट्रेडिंग कंपनी पंजीयन क्रमांक 03–27–01–0311–21 व पंजीयन दिनांक 04–02–2021 तथा पता– 33 बडवानी प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, 12 ओल्ड, पलासिया, इंदौर जिला इंदौर है जिसमें विलेख दिनांक 01/04/1992 के अनुसार फर्म में 2 भागीदार 1. श्री राजेश तावसे पिता श्री दत्तात्रय तावसे 2. श्री संतोष ताओसे पिता श्री दत्तात्रय ताओसे थे. दिनांक 01/06/2025 को फर्म में 2 नए भागीदार 1. श्रीमती संगीता ताओसे पति श्री राजेश ताओसे 2. सुश्री निकिता ताओसे पिता श्री राजेश ताओसे सम्मिलित हो गए हैं तथा इसी दिन फर्म से 1 भागीदार 1. श्री संतोष ताओसे पिता श्री दत्तात्रय ताओसे पृथक् हो गए. अतः वर्तमान में फर्म में कुल 3 भागीदार शेष हैं जो इस प्रकार हैं :– 1. श्री राजेश तावसे पिता श्री दत्तात्रय तावसे 2. श्री मती संगीता ताओसे पति श्री राजेश ताओसे 3. सुश्री निकिता ताओसे पिता श्री राजेश ताओसे हैं.

फर्म– आर. के. ट्रेडिंग कंपनी
राजेश तावसे
(भागीदार)
पता– सुदत्ता आसरा,
70 गोयल नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-6830)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मेसर्स रामबाबू गर्ग, बारादरी चौराहा, मुरार ग्वालियर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 02–42–01–00102–08 दिनांक 08.09.2008 है जिसमें दिनांक 09.09.2023 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार श्री नितिन गर्ग पुत्र श्री रामबाबू गर्ग, निवासी– बारादरी चौराहा, मुरार, ग्वालियर जोकि स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं तथा पक्षकार श्री रामबाबू गर्ग पुत्र स्व. श्री हरीष चंद्र गर्ग, निवासी– बारादरी चौराहा, मुरार, ग्वालियर जिनकी आकस्मिक मृत्यु दिनांक 09.09.2023 को हो गई है तथा नवीन साझेदार श्री योग्य गर्ग पुत्र श्री संदीप गर्ग आयु 19 वर्ष, निवासी– बारादरी चौराहा, मुरार ग्वालियर जोकि नवीन साझेदार के रूप में शामिल हो गये हैं. फर्म से पृथक्, मृत्यु हुए पक्षकार का भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना–देना शेष नही रहा है तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन–देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

मेसर्स रामबाबू गर्ग
श्री संदीप गर्ग
(पार्टनर).

(G-6831)

नाम परिवर्तन

मैं, संजु पाटीदार पति धर्मेन्द्र पाटीदार, निवासी– नयापुरा, तहसील बागली, जिला देवास (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश लक्ष्मीबाई पाटीदार दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही नाम संजु पाटीदार है. मेरे परिचय–पत्र, अंकसूची, जाति प्रमाण–पत्र में मेरा नाम संजु पाटीदार ही दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे भविष्य में संजु पाटीदार के नाम से ही जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(लक्ष्मीबाई पाटीदार)

नया नाम
(संजु पाटीदार)
पति– धर्मेन्द्र पाटीदार.

(G-6832)

नाम परिवर्तन

मैं, शिवानी आंजना पिता बद्रीलाल आंजना (Shivani Anjana). सरपरस्त बद्रीलाल पिता कारूलाल जी, निवासी– ग्राम माल्याखेरखेड़ा, तह. व जिला मन्दसौर (म.प्र.). पूर्व में मेरी पुत्री का नाम दस्तावेजों में समग्र आई.डी., शैक्षणिक संस्था में शिवानी आंजना दर्ज है, जो कि सही है, किन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में अंतिमबाला आंजना नाम अंकित है. जिसके स्थान पर परिवर्तित करके शिवानी आंजना (Shivani Anjana) घोषित किया है. अतः प्रकाशन उपरांत से मेरी पुत्री को शिवानी आंजना (Shivani Anjana) के नाम से जाना–पहचाना एवं पुकारा जावे एवं आधार कार्ड में एवं अन्य दस्तावेज में इसी नाम से लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(बद्रीलाल आंजना).

(G-6833)

नाम परिवर्तन

मैं, इकरा बी कुरैशी पिता शाहनवांज कुरैशी (IKRA BEE QURESHI) सरपरस्त शाहनवाज कुरैशी पिता सलीम मोहम्मद जी, निवासी– मकान नं. 107, वार्ड 07, जाटियो के मन्दिर, भानपुरा, जिला मन्दसौर (म.प्र.). पूर्व में मेरी पुत्री का नाम दस्तावेजों में समग्र आई.डी., शैक्षणिक संस्था में इकरा बी कुरैशी दर्ज है, जो कि सही है, किन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में इफरार पिता शाहनवाज कुरैशी नाम अंकित है. जिसके स्थान पर परिवर्तित करके इकरा बी कुरैशी पिता शाहनवाज कुरैशी (IKRA BEE QURESHI) घोषित किया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को इकरा बी कुरैशी (IKRA BEE QURESHI) के नाम से जाना–पहचाना एवं पुकारा जावे एवं समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक
(शाहनवाज कुरैशी).

(G-6834)

नाम परिवर्तन

मैं, अलका तोमर (ALKA TOMAR) पत्नी श्री विनोद सिंह, मेरा पूर्व का नाम हेमा (HEMA) था, जो मेरे बीमा पॉलिसी में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, अलका तोमर पत्नी श्री विनोद सिंह के नाम से जानी–पहचानी जाती हूँ, जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम हेमा के स्थान पर अलका तोमर लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(हेमा)

नया नाम
(अलका तोमर)
पत्नी– श्री विनोद सिंह
पता– जोहा, जोंहन, जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-6835)

नाम परिवर्तन

मैं, अशोक कुमार द्विवेदी (ASHOK KUMAR DWIVEDI) पुत्र श्री मोतीलाल द्विवेदी, मेरी नौकरी का नाम अशोक द्विवेदी (ASHOK DWIVEDI) है. जो मेरी सर्विस बुक में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में अशोक कुमार द्विवेदी पुत्र श्री मोतीलाल द्विवेदी के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ. जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य दस्तावेजों में लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी सर्विस बुक में मेरा नाम अशोक द्विवेदी के स्थान पर अशोक कुमार द्विवेदी लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अशोक द्विवेदी)

नया नाम
(अशोक कुमार द्विवेदी)
पुत्र– मोतीलाल द्विवेदी
पता– ग्राम रामनगरी, पोस्ट पहाड़ी,
तहसील हनुमना, जिला मऊगंज (म.प्र.).

(G-6836)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/S. TANAYAA DEVELOPERS जो E-18, HARISHANKARPURAM, LASHKAR, GWALIOR (M.P.) में स्थित है. जिसका पंजीयन क्र. 02–42–01–0257–25 एवं दिनांक 07/11/2025 है. जिसमें दिनांक 28/03/2025 को भागीदार श्री सोमिल शर्मा पुत्र श्री प्रेम नारायन शर्मा, निवासी– बाला बाई का बाज़ार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं.

M/S. TANAYAA DEVELOPERS
श्री पवन कुमार मित्तल
(भागीदार).

(G-6837)

नाम परिवर्तन

मैं, घनश्याम जगा (GHANSHAYAM JAGA) पुत्र श्री रामेस्वर, मेरा पूर्व का नाम ग्यासिया (GYASIYA) था. जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिख गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, घनश्याम जगा पुत्र श्री रामेस्वर के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ. जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम ग्यासिया के स्थान पर घनश्याम जगा लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(ग्यासिया)

नया नाम
(घनश्याम जगा)
पुत्र– श्री रामेस्वर
पता– चंद्रपुरा बस्ती, सबलगढ़,
जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-6838)

नाम परिवर्तन

मैं, रामविलास शर्मा (RAMVILAS SHARMA) पुत्र श्री लालपती शर्मा, मेरे पुत्र का नाम राघव शर्मा (RAGHAV SHARMA) है, जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में नाम चेतन शर्मा (CHETAN SHARMA) गलती से लिख गया है, जो कि गलत है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरे पुत्र को राघव शर्मा पुत्र श्री रामविलास शर्मा के नाम से जाना–पहचाना जाता है. जो मेरे पुत्र के शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम चेतन शर्मा के स्थान पर राघव शर्मा लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक
(रामविलास शर्मा)
पता– वार्ड नं. 4, इस्लाम पुरा, बजरंग गली,
जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-6839)

नाम परिवर्तन

मैं, जय प्रकाश जोशी (JAY PRAKASH JOSHI) पुत्र श्री हर नारायण जोशी, मेरा पूर्व का नाम रामगोपाल (RAMGOPAL) था. जो मेरे आधार कार्ड में लिखा गया है, जो कि गलत है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, जय प्रकाश जोशी पुत्र श्री हर नारायण जोशी के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ. जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम रामगोपाल के स्थान पर जय प्रकाश जोशी लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रामगोपाल)

नया नाम
(जय प्रकाश जोशी)
पुत्र– श्री हर नारायण जोशी
पता– लोडू जारह, जिला मुरैना (म.प्र.)

(G-6840)

नाम परिवर्तन

मैं, वृषाली गवांदे (VRUSHALI GAWANDE) पत्नी श्री अक्षय गवांदे, मेरा विवाह पूर्व का नाम वृषाली प्रमोद चौरे (VRUSHALI PRAMOD CHOURE) था. जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्यं प्रपत्रों में लिख गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, वृषाली गवांदे पत्नी श्री अक्षय गवांदे के नाम से जानी–पहचानी जाती हूँ. जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आई.डी. एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरांत शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम वृषाली प्रमोद चौरे के स्थान पर वृषाली गवांदे लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(वृषाली प्रमोद चौरे)

नया नाम
(वृषाली गवांदे)
पत्नी– श्री अक्षय गवांदे
पता– श्री विट्ठल मंदिर, नया बाज़ार,
लश्कर, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-6841)

नाम परिवर्तन

मैं, मनोज यादव (MANOJ YADAV) पुत्र श्री हकिम यादव, मेरे पुत्र का पूर्व नाम अखलेश यादव (AKHLESH YADAV) था. जो मेरे पुत्र के आधार कार्ड में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरे पुत्र को नवीन यादव (NAVEEN YADAV) पुत्र श्री मनोज यादव के नाम से जाना–पहचाना जाता है. जो मेरे पुत्र के शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम अखलेश यादव के स्थान पर नवीन यादव लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक
(मनोज यादव)
पता– ग्राम मामचौन, मंचों,
जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-6842)

नाम परिवर्तन

मैं, सीता देवी (SITA DEVI) पत्नी स्व. श्री बाबूलाल पाराशर, मेरा पूर्व का नाम सिया देवी पाराशर (SIYADEVI PARASHAR) था. जो मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, सीता देवी पत्नी स्व. श्री बाबूलाल पाराशर के नाम से जानी–पहचानी जाती हूँ. जो मेरी बैंक पासबुक में लिखा गया है सीता देवी और सिया देवी पाराशर दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड वोटर कार्ड इत्यादि में मेरा नाम सिया देवी पाराशर के स्थान पर सीता देवी लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सिया देवी पाराशर)

नया नाम
(सीता देवी)
पत्नी– स्व. श्री बाबूलाल पाराशर
पता– वार्ड क्र. 5, चन्द्रशेखर आजाद रोड,
जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-6843)

उपनाम परिवर्तन

मैं, विनोद पंवार आत्मज श्री रामेश्वर, निवासी–30, पीपल कोटा, सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम साक्षी पंवार है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम साक्षी अंकित हो गया था. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम साक्षी पंवार के नाम से जाना व पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का यही नाम दर्ज किया जावे.

आवेदक
(विनोद पंवार).

(G-6844)

नाम परिवर्तन

मैं, पूजा चौरसिया पत्नी श्री रोहित चौरसिया, निवासी– एल.आई.जी. 71, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल (म.प्र.). मेरे पूर्व पति श्री आकाश राय से विवाह विच्छेद के बाद मैंने श्री रोहित चौरसिया से विवाह कर लिया है. जिस कारण मेरी पुत्री का नाम अब अंजलि चौरसिया पुत्री श्री रोहित चौरसिया हो गया है. मेरी पुत्री की मार्कशीट एवं अन्य दस्तावेजों में उसका पुराना नाम अंजलि राय पुत्री श्री आकाश राय दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत अब मेरी पुत्री को उसके नए नाम अंजलि चौरसिया पुत्री श्री रोहित चौरसिया के नाम से जाना व पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का यही नाम दर्ज किया जावे.

आवेदिका
(पूजा चौरसिया).

(G-6845)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स बावर्ची पाठक जी जिसका पंजीयन क्रमांक 04–14–0401–0327–23 पंजीयन दिनांक 14–02–2023 तथा रजिस्टर्ड, पता– 3120, दीक्षित कॉलोनी, कटंगा रोड, टाटा मोटर्स के पास, माढ़ोताल, जबलपुर जिसमें प्रथम भागीदारी विलेख दिनांक 18–10–2022 वाले भागीदारी विलेख में चार भागीदार, (1) सत्येन्द्र प्रसाद पाठक पिता श्री केदार नाथ पाठक (2) उमेश पाठक पिता श्री हरि दर्शन प्रसाद पाठक (3) श्रीमती किम पटले पति श्री सुशील पटले (4) गौतम सतनामी पिता श्री राजेंद्र सतनामी थे दिनांक 31 अगस्त 2024 को फर्म की एक भागीदार श्रीमती किम पटले, पति श्री सुशील पटले फर्म से रिटायर हो गई हैं. अतः वर्तमान में फर्म में शेष तीन भागीदार हैं जो इस प्रकार हैं. (1) सत्येन्द्र प्रसाद पाठक, पिता श्री केदार नाथ पाठक, (2) उमेश पाठक पिता श्री हरि दर्शन प्रसाद पाठक, (3) गौतम सतनामी पिता श्री राजेंद्र सतनामी.

मेसर्स बावर्ची पाठक जी
सत्येन्द्र प्रसाद पाठक
(भागीदार)
पता– मकान नं. 11, टेडताल खर्रा, नईगढ़ी,
जिला रीवा (म.प्र.).

(G-6846)

नाम परिवर्तन

मैं, पूजा दुर्गा पत्नी स्व. श्री कीर्तन सिंह दुर्गा, निवासी– म.नं. सी–16/16 बी.डी.ए. कॉलोनी, सलैया, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम पहले हंसिका उईके (Hansika Uikey) था, परन्तु अब मेरी पुत्री का नाम हंसिका सिंह दुर्गा (Hansika Singh Durga) आत्मजा श्री कीर्तन सिंह दुर्गा (Kritan Singh Durga) हो गया है. अब मेरी पुत्री इसी नाम से जानी व पहचानी जाती है. मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका हंसिका उईके दर्ज हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड जन्म प्रमाण–पत्र में मेरी पुत्री का नाम हंसिका सिंह दुर्गा (Hansika Singh Durga) आत्मज श्री कीर्तन सिंह दुर्गा (Kritan Singh Durga) के नाम से जानी–पहचानी जायेगी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का यही नाम रहेगा.

आवेदिका
(पूजा दुर्गा).

(G-6847)

आम सूचना
अंतर्गत भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स MIDAS EDUVENTURES साझेदारी फर्म स्थान 2nd Floor Bainganga, Campus Kachri Chowk, Tehsil and Dist. Seoni (M.P.) 480661 के रूप में सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं जबलपुर में पंजीकृत है, फर्म के साझेदारों ने आपसी सहमति से दिनांक 07.09. 2024 को फर्म में नए साझेदार के रूप में विभा कुमारी, प्रियांका कुमारी, साकेत कुमार, बनबाथू किशोर एवं सतीश कुमार विश्वकर्मा एवं उसी दिनांक 07.09.2024 को श्री विकास कुमार सिंह एवं किशन कुमार सिंह ने फर्म से सेवानिवृत्ति ले ली है एवं उक्त दिनांक से वे इस फर्म के साझेदार नही रहे हैं एवं फर्म की नई शाखा 2nd, Floor Near Pop club Opposite Shankar Mandir Main Road Pandurna (M.P.) 480661 जोड़ा जा रहा है.

मेसर्स MIDAS EDUVENTURES
विभा कुमारी सिंह
(भागीदार).

(G-6848)

नाम परिवर्तन

मैं, छक्को बाई पत्नी श्री सुरेश, निवासी–78, छेड़ी बरोदा तहसील पाटन, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा अंग्रेजी व हिन्दी में नाम व सरनेम सुक्को बाई (SUKKO BAI) पत्नी सुरेश (SURESH) दर्ज हो गया है व अन्य शासकीय, अशासकीय दस्तावेज़ों मे मेरा नाम व सरनेम छक्को बाई (CHHAKKO BAI) पत्नी सुरेश (SURESH) है. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश सुक्को बाई (SUKKO BAI) पत्नी सुरेश (SURESH) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा सही नाम व सरनेम छक्को बाई (CHHAKKO BAI) पत्नी सुरेश (SURESH) के नाम से जानी–पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम
(सुक्को बाई)
(SUKKO BAI)

नया नाम
(छक्को बाई)
(CHHAKKO BAI)
पति– सुरेश.

(G-6849)

नाम परिवर्तन

मैं, एम.डी. अग्निहोत्री पुत्र श्री डी.पी. अग्निहोत्री, निवासी– फ्लेट नं. एफ–1, राजेन्द्र नगर रोड, इंडस सिटी, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरी पत्नी के शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में उसका अंग्रेजी व हिन्दी में नाम श्रीमति पदमा (SMT PADMA) पत्नी एम.डी. अग्निहोत्री (M.D. AGNIHCTRI) दर्ज हो गया है तथा उपनाम (अग्निहोत्री) AGNIHOTRI त्रुटिवश दर्ज नहीं है. अन्य शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों मे मेरी पत्नी का नाम व उपनाम पदमा अग्निहोत्री (PADMA AGNIHOTRI) पत्नी एम.डी. अग्निहोत्री (M.D. AGNIHOTRI) है. मेरे सर्विस रिकार्ड एवं पी.पी.ओ. में मेरी पत्नी का नाम त्रुटिवश श्रीमति पदमा (SMT PADMA) पत्नी एम. डी. अग्निहोत्री (M.D. AGNIHOTRI) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पत्नी का सही नाम व उपनाम पदमा अग्निहोत्री (PADMA AGNIHOTRI) पत्नी एम.डी. अग्निहोत्री (M.D. AGNIHOTRI) के नाम से जानी–पहचानी जायेगी.

पुराना नाम
(श्रीमति पदमा)
(SMT PADMA)

नया नाम
(पदमा अग्निहोत्री)
(PADMA AGNIHOTRI)
पत्नी– एम.डी. अग्निहोत्री
(M.D. AGNIHOTRI).

(G-6850)

नाम परिवर्तन

मैं, दिनेश मीणा पुत्र श्री महाराज सिंह, निवासी–तहसील नटेरन, पडरिया जागीर, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरे पुत्र के शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में उसका अंग्रेजी व हिन्दी में नाम व सरनेम संजय मैना (SANJAY MAINA) पुत्र दिनेश मैना (DINESH MAINA) दर्ज हो गया है व अन्य शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम व सरनेम ब्रजेश मीणा (BRAJESH MEENA) पुत्र श्री दिनेश मीणा (DINESH MEENA) है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश संजय मैना (SANJAY MAINA) पुत्र दिनेश मैना (DINESH MAINA) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का सही नाम व सरनेम ब्रजेश मीणा (BRAJESH MEENA) पुत्र श्री दिनेश मीणा (DINESH MEENA) के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम
(संजय मैना)
(SANJAY MAINA)

नया नाम
(ब्रजेश मीणा)
(BRAJESH MEENA)
पुत्र– दिनेश मीणा
(DINESH MEENA).

(G-6851)

नाम परिवर्तन

मैं, संजीव सोलापुरे उर्फ संजय कुमार लिंगायत, निवासी– रानी दुर्गावती, वार्ड छिन्दवाड़ा तहसील व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में संजीव सोलापुरे पिता सदाशिव सोलापुरे दर्ज है. मेरे डाकघर के बचत खाते में मेरा घर का नाम संजय कुमार लिंगायत दर्ज है, जिसे सुधारकर मैं, संजीव सोलापुरे पिता सदाशिव सोलापुरे करवाना चाहता हूँ. मेरा घर का प्रचलित नाम संजय कुमार लिंगायत तथा सही नाम संजीव सोलापुरे पिता सदाशिव सोलापुरे है. जो दोनों ही नाम मेरे हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे संजीव सोलापुरे के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम
(संजय कुमार लिंगायत)

नया नाम
(संजीव सोलापुरे).

(G-6852)

उपनाम परिवर्तन

मैं, प्रशांत सोनटके S/o. शंकर सोनटके, निवासी– 294 बोड़खी, जवाहर वार्ड 18, जोन 1, नगरपालिका आमला, जिला बैतूल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में सरनेम त्रुटिवश सौतके दर्ज है और अंग्रेजी में सही लिखा हुआ है लेकिन हिन्दी में सही सरनेम सोनटके है. व मेरी कक्षा 8वीं की अंकसूची में मेरी माता का नाम त्रुटिवश शीला दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरी मां का सही नाम अनारकली है, जो मेरे अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शैक्षणिक व शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में सही नाम प्रशांत सोनटके PRASHANT SONTAKE S/o. शंकर सोनटके SHANKAR SONTAKE व माता अनारकली ANARKALI से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(प्रशांत सोनटके).

(G-6853)

उपनाम परिवर्तन

मैं, योगिता सिंह पुत्री श्री धर्मेन्द्र सिंह चौहान, पता–फ्लैट क्रं. 501, सांई हाईट्स, शनि मंदिर के पास, ग्राम जाटखेड़ी, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरा सही नाम योगिता सिंह (Yogita Singh) आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम योग्यता (Yogyata) अंकित हो गया हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा सही नाम योगिता सिंह (Yogita Singh) से जानी–पहचानी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम
(योग्यता)
(Yogyata)

नया नाम
(योगिता सिंह)
(Yogita Singh).

(G-6854)

उपनाम परिवर्तन

विवाह के पूर्व मेरा नाम गीताजंली वर्मा (GEETANJALEE VERMA) पिता अमर सिंह वर्मा (AMAR SINGH VERMA) था. जो कि मेरे आधार कार्ड में अंकित है तथा मेरा विवाह श्री मनीष कुमार दासौंधी (MANISH KUMAR DASOUNDHI) के साथ संपन्न होने के उपरांत मेरा नाम परिवर्तित होकर गीताजंली दासौंधी (GEETANJALEE DASOUNDHI) पति श्री मनीष कुमार दासौंधी (MANISH KUMAR DASOUNDHI) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत वर्तमान एवं भविष्य में मुझे गीताजंली दासौंधी (GEETANJALEE DASOUNDHI) पति मनीष कुमार दासौंधी (MANISH KUMAR DASOUNDHI) के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गीताजंली वर्मा)	(गीताजंली दासौंधी).

(G-6855)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मेहक रक्षित पत्नी बिप्लब रक्षित (MEHAK RAKSHIT W/o. BIPLAB RAKSHIT), निवासी– वार्ड No.-23, बख्खर कॉलोनी, स्टेशन रोड, शीतल होम्स, VTC मंडीदीप, PO मंडीदीप SUB DISTRICT गोहरगंज, DISTTRICT रायसेन, भोपाल (म.प्र.). मैं, अपना नाम मंताशः (MANTASHAH) से बदलकर मेहक रक्षित (MEHAK RAKSHIT) करना चाहती हूँ जो कि मेरे मैरिज सर्टिफिकेट में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम मेहक रक्षित पत्नी बिप्लब रक्षित (MEHAK रक्षित W/o. BIPLAB RAKSHIT) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मंताशः)	(मेहक रक्षित)
(MANTASHAH)	(MEHAK RAKSHIT)
	पत्नी– बिप्लब रक्षित
	W/o. BIPLAB RAKSHIT

(G-6856)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम प्रियंका रधुवंशी है, मेरी पुत्री के दस्तावेजों जैसे जन्म प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम अथर्वी सहाय पुत्री श्री अंकित सहाय दर्ज है. मेरा अंकित सहाय से न्यायिक रूप से विवाह विच्छेद हो गया है एवं न्यायालयीन आदेश से मेरी पुत्री भविष्य में मेरे साथ ही रहेगी एवं मेरी पुत्री की स्थाई संरक्षिका मैं, ही रहूंगी. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को अथर्वी पुत्री प्रियंका रधुवंशी के नाम से जाना एवं पहचाना एवं समस्त अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अथर्वी सहाय)	(अथर्वी)
पुत्री– अंकित सहाय	संरक्षिका माता– प्रियंका रधुवंशी.

(G-6857)

नाम परिवर्तन

मैं, मंगा कोली पिता गबला, निवासी– ग्राम पीपरी, तहसील बागली, जिला देवास (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश फजुल कोली दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे वोटर आई.डी. कार्ड में मेरा सही नाम मंगा कोली (MANGA KOLI) पिता गबला (GABALA) दर्ज है. जिसे मैं, अपने आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. मंगा कोली (MANGA KOLI) पिता गबला (GABALA) व फजुल कोली दोनों एक ही व्यक्ति हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मंगा कोली (MANGA KOLI) पिता गबला (GABALA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(फजुल कोली)	(मंगा कोली)
	(MANGA KOLI)
	पिता– गबला (GABALA).

(G-6858)

उपनाम परिवर्तन

विवाह के पूर्व मेरा नाम अंजली परमार पुत्री जगदीश परमार था. विवाह के पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तन कर अंजली गुजराती पत्नी रितेश गुजराती कर लिया गया है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में अपने परिवर्तित नाम अंजली गुजराती (ANJALI GUJRATI) पत्नी रितेश गुजराती से ही जाना व पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अंजली परमार)
पुत्री– जगदीश परमार

नया नाम
(अंजली गुजराती)
पत्नी– रितेश गुजराती
निवासी– ग्राम नवादा, तहसील उन्हेल,
जिला उज्जैन (म.प्र.).

(G-6859)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम अजीत भील पिता चैन सिंह भील (AJIT BHIL S/o. CHAIN SINGH BHIL) है, परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश आदित्य भील (ADITYA BHIL) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम अजीत भील पिता चैन सिंह भील (AJIT BHIL S/o. CHAIN SINGH BHIL) उसके शैक्षणिक दस्तावेजों की अंकसूची में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम अजीत भील पिता चैन सिंह भील (AJIT BHIL S/o. CHAIN SINGH BHIL) के नाम से जाना–पहचाना व शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक
(चैन सिंह भील)
आत्मज– श्री बापूलाल भील
निवासी– ग्राम आमासेर, तहसील चाचोडा,
जिला गुना मुरेला (म.प्र.).

(G-6860)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरी पुत्री क्रेशा पाचोले (KRESHA PACHOLE) का नाम शक्ति (SHKTI) था. जिसे परिवर्तित कर क्रेशा पाचोले पिता सतीश पाचोले (KRESHA PACHOLE D/o. SATISH PACHOLE) कर दिया है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री को क्रेशा पाचोले पिता सतीश पाचोले (KRESHA PACHOLE D/o. SATISH PACHOLE) के नाम से ही जाना व पहचाना एवं समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का यही नाम दर्ज किया जावे.

आवेदक
(सतीश पाचोले)
पिता– श्री बद्रीप्रसाद पाचोले
निवासी– 39/2, शांतिनगर, सिविल लाइन,
खंडवा, तहसील एवं जिला खंडवा (म.प्र.).

(G-6861)

नाम परिवर्तन

मैं, कृष्णा बाई संजोदिया पति रामगोपाल संजोदिया, निवासी– ग्राम कल्पोनी, पोस्ट बखेड़, तहसील व थाना खुजनेर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) (म.प्र.). मेरे समस्त शासकीय एवं अर्धशासकीय दस्तावेजों आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक एवं एल.आई.सी. पॉलिसियों में मेरा नाम कृष्णा बाई वर्मा पति रामगोपाल वर्मा अंकित है, जिसे अब मैंने कृष्णा बाई संजोदिया पति रामगोपाल संजोदिया कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरांत से मुझे कृष्णा बाई संजोदिया पति रामगोपाल संजोदिया के नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(कृष्णा बाई वर्मा)
(KRISHNA BAI VERMA)
पति– RAMGOPAL VERMA

नया नाम
(कृष्णा बाई संजोदिया)
(KRISHNA BAI SANJODIYA)
पति–RAMGOPAL SANJODIYA.

(G-6862)

CHANGE OF NAME

I Babloo Bindas S/o. Devkaran Vishwakarma here by Declare That I, have changed My Name as Sunil Vishwakarma S/o. Devkaran Vishwakarma so, from now and in future I, will be known by my new name Sunil Vishwakarma S/o. Devkaran Vishwakarma.

Old Name
(Babloo Bindas)

New Name
(Sunil Vishwakarma)
S/o. Devkaran Vishwakarma
Add.- 22, New rajat Palace Colony,
Near Gondwale Dham Ashram,
Sudama Nagar, Indore (M.P.).

(G-6863)

CHANGE OF NAME

I, Rajkumar Prowal S/o. Nirmal Kumar Porwal here by Declare That I have changed My Name as Raj Kumar Prowal S/o. Nirmal Kumar Porwal so, from now and in future I will be known by my new name Raj Kumar Prowal S/o. Nirmal Kumar Porwal.

Old Name
(Rajkumar Prowal)

New Name
(Raj Kumar Prowal)
S/o. Nirmal Kumar Porwal
Add.- 70, Vyas Colony, Badnagar,
Ujjain (M.P.).

(G-6864)

CHANGE OF NAME

I, Moti Lal S/o. Dhul Chouhan (Old Name) here by Declare That I, have changed My Name as Motilal Chouhan S/o. Dhul Chouhan (New Name) so, from now and in future I, will be known by my new name Motilal Chouhan S/o. Dhul Chouhan (New Name)

Old Name
(Moti Lal)

New Name
(Motilal Chouhan)
S/o. Dhul Chouhan
Add.- 161, Chandamari Int Ka Bhtta,
Indore (M.P.).

(G-6865)

CHANGE OF NAME

It is to bring kind notice to the people that my son previous name Aryaman Meratia S/o. Madhurum Meratia has been changed to Jaiaryaman Meratia S/o. Madhurum Meratia Therefore, in future my son will be known by the her new name only.

Old Name
(Aryaman Meratia)

New Name
(Jaiaryaman Meratia)
S/o. Madhurum Meratia
Add.- 474, Scheme No. 114, Part-2,
Bombay Hospital, Vijay Nagar, Indore (M.P.).

(G-6866)

CHANGE OF NAME

It is to bring kind notice to the people that my son previous name Dasharath Singh Anjana S/o Jaspal Singh Anjana has been changed to Aditya Anjana S/o Jaspal Singh Anjana Therefore, in future my son will be known by the her new name only.

Old Name
(Dasharath Singh Anjana)

New Name
(Aditya Anjana)
S/o. Jaspal Singh Aajana
Add.- H.No. 76, Ward No. 10,
Gram kot Karadiya,
Gram Panchayat Kitkhedi, Ratlam (M.P.).

(G-6867)

CHANGE OF NAME

I, Marim Sheik D/o. Shaned Sheikh R/o. E-3/4A, Arera Colony, Bhopal Near Bhopal Fracture Hospital Bhopal (M.P.)-462016 Declared that My Previous Aadhaar Card name is Mariyam Chaudhary D/o. Shahid. At Present My new name is Marim Sheik D/o. Shaned Sheikh.

Old Name
(Mariyam Chaudhary)
D/o. Shahid

New Name
(Marim Sheik)
D/o. Shaned Sheikh.

(G-6868)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश पिता सुखदेव, निवासी– ग्राम वलनी, रगड़गांव, जिला बैतूल (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश उसके आधार कार्ड में Bhavya Chadokar पिता शीतल चडोकार (Sheetal Chadokar) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम भावेश चडोकार (BHAVESH CHADOKAR) पिता राजेश चडोकार (RAJESH CHADOKAR) है, जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में उसका सही नाम दर्ज है. भावेश चडोकार पिता राजेश चडोकार व Bhavya Chadokar पिता शीतल चडोकार दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को भावेश चडोकार (BHAVESH CHADOKAR) पिता राजेश चडोकार (RAJESH CHADOKAR) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक
(राजेश).

(G-6869)

नाम परिवर्तन

मैं, मनोज कुमार मालवीय पिता जगन्नाथ मालवीय, निवासी– किसोनी, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम श्रेया मालवीय (SHREYA MALVIYA) पिता मनोज कुमार मालवीय (MANOJ KUMAR MALVIYA) हैं, परंतु मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश सिया (Siya) पिता मनोज कुमार (Manoj Kumar) दर्ज हो गया हैं, जो कि गलत हैं. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. जिसे मैं, अपनी पुत्री के आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को श्रेया मालवीय (SHREYA MALVIYA) पिता मनोज कुमार मालवीय (MANOJ KUMAR MALVIYA) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक
(मनोज कुमार मालवीय).

(G-6870)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद अमजद पिता अब्दुल रज्जाक, निवासी– म.नं. 51, चंपा बाग, इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम जोया नूर (ZOYA NOOR) पिता मोहम्मद अमजद (MOHAMMAD AMJAD) है, परंतु मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश Joya Khan पिता मोहम्मद अमजद (Mohamamad Amjad) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. जिसे मैं, अपनी पुत्री के आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. जोया नूर (ZOYA NOOR) पिता मोहम्मद अमजद (MOHAMMAD AMJAD) व Joya Khan पिता मोहम्मद अमजद (Mohamamad Amjad) दोनों एक ही महिला हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को जोया नूर (ZOYA NOOR) पिता मोहम्मद अमजद (MOHAMMAD AMJAD) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक
(मोहम्मद अमजद).

(G-6871)

नाम परिवर्तन

मैं, मांगीलाल गुडवाल पिता रामलाल गुडवाल, निवासी– म.नं. 384, हरिजन मोहल्ला, तहसील कालापीपल, वार्ड नं. 19, खामलय, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम बसकन्या घुडवाल (BASKANYA GHUDWAL) पिता मांगीलाल घुडवाल (MANGILAL GHUDWAL) हैं. परन्तु मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश रोहित गुडवाल (Rohit Gud Wal) पिता मांगीलाल गुडवाल (Mangilal Gud Wal) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसकी कक्षा 10वीं की अंकसूची में दर्ज है. बसकन्या घुडवाल (BASKANYA GHUDWAL) पिता मांगीलाल घुडवाल (MANGILAL GHUDWAL) व रोहित गुडवाल (Rohit Gud Wal) पिता मांगीलाल गुडवाल (Mangilal Gud Wal) दोनों एक ही महिला हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को बसकन्या घुडवाल (BASKANYA GHUDWAL) पिता मांगीलाल घुडवाल (MANGILAL GHUDWAL) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक
(मांगीलाल गुडवाल).

(G-6872)

नाम परिवर्तन

मैं, घिसीलाल पुत्र मिश्रीलाल, निवासी–12, बमूलिया पवार, ग्राम पडोनिया, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में मेरा नाम घीसू लाल पुत्र मश्रीलाल, नाम दर्ज हो गया है, जबकि मेरे वोटर कार्ड पर घिसीलाल पुत्र मिश्रीलाल नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम घिसीलाल पुत्र मिश्रीलाल के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(घीसू लाल)
पुत्र– मश्रीलाल

नया नाम
(घिसीलाल)
पुत्र– मिश्रीलाल.

(G-6873)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम राजकुमार सिंह (RAJKUMAR SINGH) पिता सवल सिंह, निवासी– ग्राम भोन पुरा, पोस्ट भोन पुरा, तहसील गोहद, जिला भिंड (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में त्रुटिवश राजा (RAJA) नाम दर्ज हो गया है. जो कि मेरा घर का बोलता नाम है. मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम राजकुमार सिंह (RAJKUMAR SINGH) पिता सवल सिंह है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में नये नाम राजकुमार सिंह (RAJKUMAR SINGH) पिता सवल सिंह के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राजा)	(राजकुमार सिंह)
(RAJA)	(RAJKUMAR SINGH).

(G-6874)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम कृतिका बडवाया (KRATIKA BADWAYA) पिता अर्जुन बडवाया है, जो कि उसके शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित है, किन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम राजश्री बडवाया (RAJSHREE BADWAYA) पिता अर्जुन बडवाया दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजों पर राजश्री बडवाया के स्थान पर उसका सही नाम कृतिका बडवाया (KRATIKA BADWAYA) पिता अर्जुन बडवाया लिखा–पढ़ा एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

आवेदक
(अर्जुन बडवाया)
पता– 30, बिचौली मर्दाना,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-6875)

नाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरा नाम नीलम जेठानी (NEELAM JETHANI) पिता श्री कन्हैया लाल जेठानी था, जो कि मेरे जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित है. विवाह के उपरान्त मेरा नाम सिया राजदेव (SIYA RAJDEV) पति श्री राम कुमार राजदेव हो गया है, जो मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर अंकित है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे सिया राजदेव (SIYA RAJDEV) पति श्री राम कुमार राजदेव के नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(नीलम जेठानी)	(सिया राजदेव)
(NEELAM JETHANI)	(SIYA RAJDEV)
	पति– श्री राम कुमार राजेदव
	पता– एम. 201, जनता क्वाटर, नंदा नगर,
	जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-6876)

नाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरा नाम संजीदा कुरैशी (SANJEEDA QURESHI) पिता मोइनुद्दीन कुरैशी था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों, पैन कार्ड एवं पासपोर्ट पर अंकित है, विवाह के बाद मेरा नाम संजीदा काज़ी (SANJEEDA KAZI) पति अमीन जव्वाद हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा परिवर्तित नाम संजीदा काज़ी (SANJEEDA KAZI) लिखा–पढ़ा एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(संजीदा कुरैशी)
(SANJEEDA QURESHI)
पिता– मोइनुद्दीन कुरैशी

नया नाम
(संजीदा काज़ी)
(SANJEEDA KAZI)
पति– अमीन जव्वाद
पता– 84/बी, बाबा फरीद नगर, खजराना,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-6877)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम कान्ता पाहूजा (KANTA PAHUJA) पति श्री लीलाधर पाहूजा था, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर दर्ज है, जिसको मैंने परिवर्तित कर मेरा नाम कविता पाहूजा (KAVITA PAHUJA) पति श्री लीलाधर पाहूजा कर लिया है, जो मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड पर भी अंकित है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा परिवर्तित नाम कविता पाहूजा (KAVITA PAHUJA) पति श्री लीलाधर पाहूजा लिखा–पढ़ा एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(कान्ता पाहूजा)
(KANTA PAHUJA)

नया नाम
(कविता पाहूजा)
(KAVITA PAHUJA)
पति– लीलाधर पाहूजा
पता– वार्ड नं. 11, हरदा, हरदा (म.प्र.).

(G-6878)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम शौर्यम बैरागी (SHOURYAM BAIRAGI) पिता राहुल बैरागी है, जो उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है तथा मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर घर में पुकारे जाने वाला नाम मितांश बैरागी (MITANSH BAIRAGI) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों पर उसका सही नाम शौर्यम बैरागी (SHOURYAM BAIRAGI) पिता राहुल बैरागी लिखा–पढ़ा एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

आवेदक
(राहुल बैरागी)
पता– 134–ई, श्रीबृज विहार कॉलोनी,
राऊ, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-6879)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम इमरान खान (IMRAN KHAN) पिता शिरीन खान (SHIRIN KHAN) माता मुमताज बी (MUMTAJ BEE) है, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर दर्ज है, किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर मेरी माता का नाम त्रुटिवश मुनताज बी (MUNTAJ BEE) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम इमरान खान (IMRAN KHAN) पिता शिरीन खान (SHIRIN KHAN) माता मुमताज बी (MUMTAJ BEE) लिखा–पढ़ा एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(इमरान खान)	(इमरान खान)
(IMRAN KHAN)	(IMRAN KHAN)
माता– मुनताज बी	पिता– शिरीन खान
	माता– मुमताज बी
	पता– 38, कबुतर खाना, इन्दौर (म.प्र.).

(G-6880)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम मड़िया अलावा (Madiya Alawa) पिता रघुनाथ सिंह है, जो कि मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों पर दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम महेन्द्र मड़िया अलावा (Mahendra Madiya Alawa) पिता रघुनाथ सिंह दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम मड़िया अलावा (Madiya Alawa) पिता रघुनाथ सिंह लिखा–पढ़ा एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(महेन्द्र मड़िया अलावा)	(मड़िया अलावा)
(Mahendra Madiya Alawa)	(Madiya Alawa)
	पिता– रघुनाथ सिंह
	पता– पटेलपुरा, पडियाल पदियल, धार (म.प्र.).

(G-6881)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म M/S. KHATRI FOOD PRODUCTS जिसका पंजीयन क्रमांक 05–26–01–0089–25 पंजीयन दिनांक 14/10/2025 पता– Plot No. 63 Industrial Area, Matehna, Tehsil Raghurajnagar, Distt. Satna (M.P.) 485001 कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं रीवा शहडोल संभाग रीवा से पंजीकृत फर्म है. यह है कि फर्म पंजीयन के समय में भागीदार (1) Mr. Basant Lal Khatri S/o. Mr. Bherumal Khatri (2) Mr. Rajeev Ramtriya S/o. Mr Sundar Lal Ramtriya पार्टनर थे फर्म के रचना में परिवर्तन दिनांक 27/10/2025 को (1) Mr. Rajeev Ramtriya S/o. Mr Sundar Lal Ramtriya अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं उक्त दिनांक 27.10.2025 नवीन पार्टनर (1) Mr. Amit Khatri S/o. Mr Basant Lal Khatri (2) Mr. Ashish Khatri S/o. Mr Basant Lal Khatri को सम्मिलित किया गया है.

M/S. KHATRI FOOD PRODUCTS
Mr. Basant Lal Khatri
(भागीदार).

(G-6882)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म "M/s. Shri Ram Logistics" जिसका पंजीयन क्रमांक–05–25–01–0175–25, पंजीयन दिनांक 01–03–2025 पता– House No.- 05, Ward 14, Collectorate Road, North Karaudiya, Gopadbanas, Distt. Sidhi (M.P.) 486661 कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं रीवा शहडोल संभाग रीवा से पंजीकृत फर्म है. यह है कि फर्म पंजीयन के समय में भागीदार (1) Smt. Beena Mishra (2) Shri Atul Kumar Pidiha (3) Smt. Sangeeta Tiwari (4) Shri Jageshwar Prasad Sharma (5) Shri Arun Kumar Dwivedi पार्टनर थे फर्म के रचना में परिवर्तन दिनांक 01–10–2025 को (1) Shri Jageshwar Prasad Sharma S/o. Shri Naval Kishor Sharma अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं उक्त दिनांक 01–10–2025 नवीन पार्टनर (1) Smt. Varsha Pandey D/o. Shri Rajesh Kumar Pandey को सम्मिलित किया गया हैं.

M/s. Shri Ram Logistics
Beena Mishra
(भागीदार).

(G-6883)

नाम परिवर्तन

मैं "श्रीमती सरस्वती" पत्नी श्री रामनाथ, निवासी– वार्ड नं. 40, नया तालाब, गुढ चौक, हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में गलती से मेरा नाम "गुलाबी देवी" दर्ज हो गया है, मेरा सही नाम नाम "सरस्वती" है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में सभी सरकारी एवं गैर सरकारी अभिलेखों में ''सरस्वती पत्नी श्री रामनाथ'' के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊँगी.

पुराना नाम	नया नाम
(गुलाबी देवी)	(सरस्वती)
(GULABI DEVI)	(SARASWATI)

(G-6884)

नाम परिवर्तन

मैं, वंदना तिवारी पति प्रशांत तिवारी, निवासी– एच.नं. 18, दुर्गा मंदिर, भदभदा मार्ग, नीलबड़, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र रुद्र देव तिवारी के जन्म प्रमाण–पत्र में माता का नाम त्रुटिवश प्रीति तिवारी (Preeti Tiwari) दर्ज है, जो कि गलत है. मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में मेरा सही नाम वंदना तिवारी (VANDANA TIWARI) पति प्रशांत तिवारी (PRASHANT TIWARI) दर्ज है, जिसे मैं, अपने पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहती हूँ. वंदना तिवारी (VANDANA TIWARI) पति प्रशांत तिवारी (PRASHANT TIWARI) व प्रीति तिवारी (Preeti Tiwari) दोनों नाम एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे वंदना तिवारी (VANDANA TIWARI) पति प्रशांत तिवारी (PRASHANT TIWARI) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रीति तिवारी)	(वंदना तिवारी)
(Preeti Tiwari)	(VANDANA TIWARI)
	पति– प्रशांत तिवारी
	(PRASHANT TIWARI)

(G-6885)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती मणिराज कुमारी (Maniraj Kumari) पत्नी श्री राम प्रसाद सिंह (Shri Ram Prasad Singh), पता– 16/338, रविन्द्र नगर, पी.के. स्कूल के पीछे, रीवा, जिला रीवा (म.प्र.), स्थायी निवासी– ग्राम बघवार, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म.प्र.). मेरा नाम विवाह से पूर्व तथा कुछ अभिलेखों में श्रीमती मणिराज कुमारी (Smt. Maniraj Kumari) नाम दर्ज है. मेरे विवाह के पश्चात् मुझे सामाजिक एवं पारिवारिक रूप से श्रीमती सविता सिंह (Smt. Savita Singh) के नाम से जाना जाता है. मैंने स्वेच्छा से अपना नाम सविता सिंह (Savita Singh) अपना लिया. विधि सम्मत प्रक्रिया के अनुसार यह परिवर्तन पहले सभी दस्तावेज़ों में नहीं कराया गया, जिसके कारण मेरे कुछ अभिलेखों/दस्तावेज़ों में नाम मणिराज कुमारी (Maniraj Kumari) तथा कुछ में सविता सिंह (Savita Singh) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मैं, श्रीमती मणिराज कुमारी (Maniraj Kumari) के नाम से जानी–पहचानी जाऊंगी.

प्रार्थिनी
(मणिराज कुमारी).

(G-6886)

नाम परिवर्तन

मैं, राममोहन बघेल आत्मज श्री गनेशराम बघेल, निवासी–ग्राम हरगनाखेड़ी, तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरा सही नाम राममोहन बघेल है आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम जितेंद्र सिंह बघेल अंकित हो गया है, अब में अपने समस्त दस्तावेजों में अपना सही नाम राममोहन बघेल अंकित करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(जितेंद्र सिंह बघेल)

नया नाम
(राममोहन बघेल).

(G-6887)

नाम परिवर्तन

मैं, रोहित सेनानी आत्मज श्री नजाम सिंह सेनानी, निवासी– म.नं. 597, ग्राम चाचरिया पाटी, तहसील सेंधवा, जिला बडवानी (म.प्र.). मेरा सही नाम रोहित सेनानी आत्मज श्री नजाम सिंह सेनानी (Rohit Senani S/o. Najamsingh Senani) है, त्रुटिवश आधार कार्ड में मेरा नाम वेरसिंग आर्य आत्मज श्री दखन्या अंकित हो गया है, अब मैं अपने नये नाम रोहित सेनानी आत्मज श्री नजाम सिंह सेनानी (Rohit Senani S/o. Najamsingh Senani) से जाना–पहचाना एवं अन्य समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा यही नाम है.

पुराना नाम
(वेरसिंग आर्य)
आत्मज– श्री दखन्या

नया नाम
(रोहित सेनानी)
आत्मज– श्री नजाम सिंह सेनानी
(Rohit Senani S/o. Najamsingh Senani).

(G-6888)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद जाबीर पिता मोहम्मद रहीम, निवासी– वार्ड नं. 13, यादव कॉलोनी, हर्रई, पोस्ट हर्रई, तहसील हर्रई, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.). मेरा सही नाम मोहम्मद जाबीर (Mohammad Jabeer) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम जावेद खान (Javed Khan) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा सही नाम मोहम्मद जाबीर (Mohammad Jabeer) के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम
(जावेद खान)
(Javed Khan)

नया नाम
(मोहम्मद जाबीर)
(Mohammad Jabeer).

(G-6889)

नाम परिवर्तन

मैं, रमजान साफिक काझी (RAMJAN SAFIK KAZI) पिता सफीक काजी, निवासी– ग्राम गरौली, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश आशीफ (ASHIF) पुत्र रमजान साफिक काझी (RAMJAN SAFIK KAZI) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का आधार कार्ड में सही नाम आसिफ रमजान काझी (ASIF RAMJAN KAZI) पुत्र रमजान काझी (RAMJAN KAZI) है, जो कि मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका सही नाम दर्ज है. आशीफ (ASHIF) पुत्र रमजान काझी (RAMJAN SAFIK KAZI) व आसिफ रमजान काझी (ASIF RAMJAN KAZI) पुत्र रमजान काझी (RAMJAN KAZI) दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को आसिफ रमजान काझी (ASIF RAMJAN KAZI) पुत्र रमजान काझी (RAMJAN SAFIK KAZI) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रमजान साफीक काझी).

(G-6890)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहन लाल पाल पिता हर्जु पाल, निवासी– ग्राम कोडा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश उपेन्द्र पाल पिता मोहन लाल पाल दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम देवेंद्र पाल (DEVENDRA PAL) पुत्र मोहन लाल पाल (MOHAN LAL PAL) है, जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को देवेंद्र पाल (DEVENDRA PAL) पुत्र मोहन लाल पाल (MOHAN LAL PAL) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मोहल लाल पाल).

(G-6891)

नाम परिवर्तन

मैं, संतोष जाट पिता हजारी लाल, निवासी– मकान नं. 143/2, ग्राम गुराडिया जाट, तहसील सिवनी, मालवा जिला होशंगाबाद (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश सत्यनारायण जाट पिता हजारीलाल जाट दर्ज है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम संतोष जाट पिता हजारी लाल (SANTOSH JAT S/o. HAJARI LAL) है, जो कि मेरे वोटर आई.डी. कार्ड में दर्ज हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे संतोष जाट पिता हजारी लाल (SANTOSH JAT S/o. HAJARI LAL) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सत्यनारायण जाट)

पिता– हजारीलाल जाट

नया नाम

(संतोष जाट)

(SANTOSH JAT)

पिता– हजारी लाल

(S/o. HAJARI LAL).

(G-6892)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम निधि परमार पुत्री मुकेश (NIDHI PARMAR D/o. MUKESH), निवासी–ग्राम मिर्जापुर, भोंरासा, सोनकच्छ, देवास (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम रुमझुम पुत्री मुकेश (RUMJHUM D/o. MUKESH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का नाम निधि परमार पुत्री मुकेश (NIDHI PARMAR D/o. MUKESH) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मुकेश)

(G-6893) (MUKESH).

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम जिया खान पुत्री नईम खान (JIYA KHAN D/o. NAIM KHAN), निवासी–5, चोर सगोनी, बरखेड़ा पठानी, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम रुखसार खान पुत्री नाहिम खान (RUKHSAR KHAN D/o. NAHIM KHAN) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का नाम जिया खान पुत्री नईम खान (JIYA KHAN D/o. NAIM KHAN) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(नईम खान).

(G-6894)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के आधार कार्ड में नाम त्रुटिवश सौरभ भालसे पुत्र श्री अजय भालसे अंकित हो गया है, जो कि गलत है, जबकि वर्तमान में मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में कार्तिक (KARTIK) पुत्र श्री अजय भालसे अंकित है, जो की सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को कार्तिक भालसे (KARTIK BHALSE) पुत्र श्री अजय भालसे के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(सौरभ भालसे)

(SOURABH BHALSE)

नया नाम

(कार्तिक भालसे)

(KARTIK BHALSE)

पुत्र– श्री अजय भालसे

निवासी– टी.बी. अस्पताल,

बाजपाई नगर, ईदगाह हिल्स,

हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

(G-6895)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम बबलू भील पिता बने सिंह (BABLU BHIL S/o. BANE SINGH BHIL) के परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश मिलन भील (MILAN BHIL) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम बबलू भील पिता बने सिंह (BABLU BHIL S/o. BANE SINGH BHIL) उसके शैक्षणिक दस्तावेजों की अंकसूची व जन्म प्रमाण–पत्र आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूँ, अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को बबलू भील पिता बने सिंह (BABLU BHIL S/o. BANE SINGH BHIL) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(बने सिंह)
आत्मज– श्री मोर सिंह
निवासी– ग्राम आमासेर,
मुरेला, जिला गुना (म.प्र.).

(G-6896)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम त्रुटिवश आधार कार्ड में इन्दु देवी अंकित हो गया है, जबकि मेरा सही नाम बुधनी रजक पत्नी स्व. श्री भोलाराम रजक है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड में नाम इन्दु देवी के स्थान पर मेरा सही नाम बुधनी रजक से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी
(इन्दु देवी)
पत्नी– श्री भोलाराम रजक
निवासी म.नं. 41–42, वर्धमान ग्रीन
वेली एक्सटेंशन, अवधपुरी, भोपाल (म.प्र.).

(G-6897)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनील अम्फाल पिता श्री करणसिंह अम्फाल, निवासी– ग्राम गुराडियागुर्जर, तहसील तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश अथर्व अम्फाल गुर्जर लिखा गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे पुत्र का नाम जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में तथा जन्म से ही रणवीर अम्फाल पिता श्री सुनील अम्फाल हैं. अतः प्रकाशन उपरांत सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम रणवीर अम्फाल पिता श्री सुनील अम्फाल, के नाम से जाना–पहचाना लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अथर्व अम्फाल गुर्जर)
(Atharva Amfal Gurjar)

नया नाम
(रणवीर अम्फाल)
(Ranveer Amphal)
पिता– सुनील अम्फाल.

(G-6898)

नाम परिवर्तन

मैं, पवन पाटीदार पिता श्री गोविन्द पाटीदार, निवासी–ग्राम खरसौदखुर्द, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरे पुत्र रिशांक पाटीदार पिता श्री पवन पाटीदार माता श्रीमती पूनम पाटीदार के नाम से जन्म से ही जाना व पहचाना जाता है और मेरे जन्म प्रमाण–पत्र में भी मेरा रिशांक पाटीदार नाम अंकित है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश पूनम पवन के नाम अंकित हो गया है. जबकि मेरे पुत्र का सही नाम रिशांक पाटीदार हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में सही नाम रिशांक पाटीदार पिता श्री पवन पाटीदार के नाम से जाना–पहचानां एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(पवन पाटीदार)
पिता– श्री गोविन्द पाटीदार.

(G-6899)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती जसोदाबाई पति स्व. श्री शिवनारायण मालवीय, निवासी–182, एकता नगर, उज्जैन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम यशोदाबाई लिखा गया है, जो गलत है. जबकि मेरे बैंक खातों एवं पैन कार्ड में तथा जन्म से ही मेरा नाम जसोदाबाई है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम जसोदाबाई पति स्व. श्री शिवनारायण मालवीय के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(यशोदाबाई)	(जसोदाबाई)
(Yashodabai)	(Jasodabai).

(G-6900)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश राठौर पिता श्री रामप्रसाद राठौर, निवासी– ग्राम लोध, तहसील तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में नाम त्रुटिवश निकिता लिखा गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम वंशिका राठौर हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में वंशिका राठौर पुत्री राजेश राठौर के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(राजेश राठौर)
पिता– श्री रामप्रसाद राठौर.

(G-6901)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम श्रीमती हुकमावत्ती राठौर पत्नी स्व. श्री रामरतन राठौर, निवासी–ग्राम कनासिया, तहसील तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरा नाम त्रुटिवश श्रीमती हुकमाबाई एवं श्रीमती हुकमावती के नाम से उल्लेखित हो गया है. जबकि मेरा सही नाम श्रीमती हुकमावत्ती राठौर पत्नी स्व. श्री रामरतन राठौर है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम श्रीमती हुकमावत्ती राठौर पत्नी स्व. श्री रामरतन राठौर के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(हुकमाबाई)	(हुकमावत्ती राठौर)
(हुकमावती)	(Hukmavatti Rathore).
(Hukmabai & Hukmavati)	

(G-6902)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम किशोर सूर्यवंशी (Kishor Suryawanshi) पिता श्री गोवर्धनलाल सूर्यवंशी, निवासी– ग्राम पासलोद, तहसील उन्हेल, जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरे विवाह के पश्चात् मुझे ईश्वर सूर्यवंशी (Ishwar Suryawanshi) पिता श्री गोवर्धनलाल सूर्यवंशी के नाम से ही जाना जाता है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम ईश्वर सूर्यवंशी (Ishwar Suryawanshi) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(किशोर सूर्यवंशी)	(ईश्वर सूर्यवंशी)
(Kishor Suryawanshi)	(Ishwar Suryawanshi).

(G-6903)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती अनिता कुंवर पति स्व. श्री मेहरबानसिंह, निवासी– ग्राम काकड़दा, ग्राम पंचायत मालीखेड़ी, तहसील उन्हेल, जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम जसवंतसिंह पिता स्व. श्री मेहरबानसिंह है. मेरे पुत्र जसवंतसिंह के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम हर्षिता गलत लिखा गया है, जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र, समग्र आई.डी. तथा विद्यालय आदि में सही नाम जसवंतसिंह है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम जसवंतसिंह पिता स्व. श्री मेहरबानसिंह के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(हर्षिता)	(जसवंतसिंह)
(Harshita)	(Jaswant Singh).

(G-6904)

नाम परिवर्तन

मैं, भूरे सिंह आत्मज श्री जगदीश सिंह, निवासी– ग्राम बुदारा तहसील पोरसा, जिला मुरैना (म.प्र.). मेरा नाम त्रुटिवश आधार कार्ड में भगवान सिंह आत्मज श्री जगदीश सिंह दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम भूरे सिंह आत्मज श्री जगदीश सिंह दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(भगवान सिंह)	(भूरे सिंह)
	(BHOORE SINGH)
	आत्मज– श्री जगदीश सिंह.

(G-6905)

नाम परिवर्तन

मैं, शबिस्ता बेगम पत्नी श्री मोहम्मद इकबाल कुरैशी, निवासी बी–137, ओकाफ कॉलोनी, ऐशबाग, वार्ड नं. 42, तहसील हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश बुशरा पत्नी मोहम्मद मुशर्रफ (Bushra W/o. Mohammad Mushrraf) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम शाबिस्ता बेगम पत्नी श्री मोहम्मद इकबाल कुरैशी (Shavista Begum W/o. Mohammad Iqbal Kureshi) है, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है, जिसे मेरे आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे शबिस्ता बेगम पत्नी श्री मोहम्मद इकबाल कुरैशी (Shavista Begum W/o. Mohammad Iqbal Kureshi) के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(बुशरा)	(शबिस्ता बेगम)
(Bushra)	(Shavista Begum)
पत्नी– मोहम्मद मुशर्रफ	पत्नी– श्री मोहम्मद इकबाल कुरैशी
(W/o. Mohammad Mushrraf)	(W/o. Mohammad Iqbal Kureshi).

(G-6906)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, देपालपुर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश

देपालपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2025

(फार्म– चार)

क्र.–3700–री–2–2025.– आवेदक श्री विरेन्द्र डाबी पिता मनोहरलाल डाबी उम्र 47 वर्ष, निवासी– चारभुजा गली, गौतमपुरा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के प्रारुप–तीन, नियम 4(2) के अंतर्गत ''श्री जीवदया मंदिर श्री रत्नगीर सेवा सदर अभ्युदय स्मृतिधाम ट्रस्ट गौतमपुरा'' पता– आशीर्वाद वस्त्रालय, हनुमान चौक गौतमपुरा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र, ट्रस्ट डीड की प्रति, एवं निर्धारित शुल्क 05/– का चालान प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति या उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह (अर्थात 30) दिन के अन्दर स्वयं अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता – ''श्री जीवदया मंदिर श्री रत्नगीर सेवा सदर अभ्युदय स्मृतिधाम ट्रस्ट गौतमपुरा'' पता– आशीर्वाद वस्त्रालय, हनुमान चौक गौतमपुरा एवं ट्रस्ट के नाम अचल सपंत्ति का विवरण कस्बा गौतमपुरा में सर्वे नम्बर 596/1 रकबा 1.007 हे. सर्वे नम्बर 596/2 रकबा 1.007 हे. कुल रकबा 2.014 हे. भूमि ट्रस्ट के खाते में राशि 21,000/– रुपये है. ट्रस्ट में सदस्यों की विवरणी सूची सलग्न की गई है.

आज दिनांक 07 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से पारित किया गया.

(G-6907) **आर.एम. त्रिपाठी,** रजिस्ट्रार.

न्यायालय, पंकज मिश्रा लोकन्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, आधारताल, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2025

प्रारुप – 4

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 4 के अंतर्गत]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 007–बी–113–2025–2026.– आवेदक द्वारकाधीश फाउंडेशन ट्रस्ट जबलपुर द्वारा डॉ. नितिन सोनी पिता श्री नरेन्द्र कुमार सोनी, पता– बी–2 जे.डी.ए.फ्लेट शताब्दीपुरम, विजय नगर, जबलपुर के द्वारा आवेदन–पत्र वास्ते मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के तहत् वास्ते न्यास के पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है, न्यास का उद्देश्य चिकित्सकीय, शैक्षणिक प्राकृतिक आपदाओं से बचाव एवं राहत कार्य है. न्यास के नवीन न्यासियों के नामः–

1. डॉ. नितिन सोनी पिता श्री नरेन्द्र कुमार सोनी, निवासी फूटाताल
2. डॉ. शशिकांत तिवारी पिता श्री काशी प्रसाद तिवारी, निवासी यादव कॉलोनी
3. आलोक कुमार मिश्रा पिता किशोर कुमार मिश्रा, निवासी घूमा सिवनी
4. डॉ. सतेन्द्र सोनी पिता नरेन्द्र सोनी, निवासी फूटाताल
5. तुलसीनाम अवस्थी पिता गोपाल प्रसाद सोनी, निवासी–गढा पुरवा

अतः एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 20 नवम्बर 2025 को विचार के लिए नियत है. कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना में उल्लेखित नियत पेशी भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिए ग्राहय नहीं किया जावेगा.:–

अनुसूची

(न्यास का विवरण)

न्यास का विवरण	–	द्वाराकाधीश फाउंडेशन ट्रस्ट, जबलपुर
अचल सम्पत्ति	–	निरंक
चल सम्पत्ति	–	50,000/–

जारी दिनांक – 6 नवम्बर 2025

पेशी दिनांक– 20 नवम्बर 2025

(G-6908) **पंकज मिश्रा,** अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पंजीयक पब्लिक ट्रस्ट अनुविभाग, गोपदबनास, जिला सीधी, मध्यप्रदेश

सीधी, दिनांक 24 जून 2025

(प्रारुप क्र. 4)

[देखें नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास, नियम, 1962 का नियम 5 (1) द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक सीधी जिला सीधी के समक्ष

क्र.–68–एस.डी.ओ.–2025.– अतः कि जय मॉ फूलवती मंदिर प्रंबधन समिति अमहा सीधी ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 07 अगस्त 2025 का 10.30 बजे कार्यालय दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

न्यास का पूरा नाम व पता	–	जय मॉ फूलवती मंदिर प्रंबधन समिति अमहा सीधी, थाना कोतवाली सीधी, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म.प्र.).
सम्पत्ति का विवरण	–	5,000/– रुपये (पांच हजार रुपये)

(G-6909) **नीलेश कुमार शर्मा,** उपखण्ड अधिकारी.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, खातेगांव, जिला देवास, मध्यप्रदेश

खातेगांव, दिनांक 30 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक–3968–रीडर–1–2025–26.– आवेदक झब्बू खां पिता गुलशेर खां वार्ड नं. 08 चूना भट्टी खातेगांव एवं अन्य के द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा न्यास अधिनियम, 1951 (क्र–30) की धारा 5 एवं उपधारा 02 और मध्यप्रदेश एवं मध्यप्रदेश लोक सेवा न्यास अधिनियम, 1962 का नियम 5 (1) अनुसार मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के तहत् लोक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया है जिसका प्र.क्र. 0001/बी–113(1)–2025–26 पर दर्ज है. उक्त न्यास के पंजीयन पर किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति दिनांक 14 नवम्बर 2025 के अंदर मेरे न्यायालय मे कार्यदिवस के समय 10:30 बजे उपस्थित होकर मय दस्तावेज के स्वयं या अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से पेश करे. बाद म्याद दावा आपत्ति मान्य नहीं होकर न्यास का पंजीयन कर दिया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पताः– अंजुमन बैतुलमाल न्यास चूना भट्टी, खातेगांव, तह. खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.).

सामाजिक एवं पारमार्थिक प्रयोन जिसे ग्राम के उत्थान आफर सुविधा से अंजुमन बैतुलमाल के सामाजिक कार्य होते रहेंगे. संपत्ति का रख–रखाव एवं संचलान चूना भट्टी खातेगांव, तह. खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.).

अनुसूची "अ"

चल सम्पत्ति – नगद 25,000/–

अनुसूची "ब"

अचल सम्पत्ति – निरंक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी खातेगांव जिला देवास मध्यप्रदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित आज दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को जारी .

प्रवीण प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G-6910)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 16 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापन–2025–3728.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि–1154, दिनांक 24 अप्रैल 2025 आकाश प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयक क्रमांक 957, दिनांक 07 जुलाई 2001 हैं, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री भूपेन्द्र गिरी, सहकारी निरीक्षक को संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई हैं.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं दीपाली खण्डेलवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधि ानियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना कमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया हैं.

(G-6911)

देवास, दिनांक 27 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापन–2025–3744.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि–1512, दिनांक 11 मई 2023 दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित जानसूर, तहसील काटाफोड़, जिला देवास, जिसका पंजीयक क्रमांक 1481, दिनांक 09 सितम्बर 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 (1) के अंतर्गत श्री पर्वतसिंह निगवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई हैं.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित हैं.

अतः मैं दीपाली खण्डेलवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधि ानियम 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया हैं.

(G-6912)

देवास, दिनांक 27 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापन–2025–3745.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक–परि–2100, दिनांक 21 जून 2023 दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खोखरिया, तहसील जिला देवास, जिसका पंजीयक क्रमांक 1114, दिनांक 02 मार्च 2006 हैं, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 (1) के अंतर्गत श्रीमती कृष्णा पथरोड़, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था में परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई हैं.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित हैं.

अतः, मैं, दीपाली खण्डेलवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया हैं.

(G-6913) **दीपाली खण्डेलवाल,** सहायक रजिस्ट्रार.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

(लुनिया चौराहा, पुरानी जिला पंचायत, सीहोर)

सीहोर, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापन–2025.– इस कार्यालय का आदेश क्रमांक–परिसमापन–2025–578, सीहोर दिनांक 20 मई 2025 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, डिमावर, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1688, दिनांक 01 जनवरी 2013 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार जैन, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 29 जुलाई 99 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अतंर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, डिमावर, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1688, दिनांक 01 जनवरी 2013 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, डिमावर, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1688, दिनांक 01 जनवरी 2013 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-6914)

सीहोर, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापन–2025.– इस कार्यालय का आदेश क्रमांक–परिसमापन–2025–591, सीहोर दिनांक 26 मई 2025 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुमनताल, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1635, दिनांक 27 सितम्बर 2012 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार जैन, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक

प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 29 जुलाई 99 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अतंर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुमनताल, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1635, दिनांक 27 सितम्बर 2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुमनताल, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1635, दिनांक 27 सितम्बर 2012 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-6915)

सीहोर, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापन–2025.– इस कार्यालय का आदेश क्रमांक–परिसमापन–2025–578, सीहोर दिनांक 20 मई 2025 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खरसानिया, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1600, दिनांक 06 मार्च 2012 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार जैन, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 29 जुलाई 99 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अतंर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खरसानिया, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1600, दिनांक 06 मार्च 2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खरसानिया, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1600, दिनांक 06 मार्च 2012 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-6916)

सीहोर, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापन–2025.– इस कार्यालय का आदेश क्रमांक–परिसमापन–2025–591, सीहोर दिनांक 26 मई 2025 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छीपानेर, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1666, दिनांक 29 सितम्बर 2012 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार जैन, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 29 जुलाई 99 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अतंर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छीपानेर, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1666, दिनांक 29 सितम्बर 2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छीपानेर, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1666, दिनांक 29 सितम्बर 2012 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-6917)

सीहोर, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापन–2025.– इस कार्यालय का आदेश क्रमांक–परिसमापन–2025–591, सीहोर दिनांक 26 मई 2025 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुकरवास, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1732, दिनांक 23 दिसम्बर 2013 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार जैन, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 29 जुलाई 99 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी सस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अतंर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुकरवास, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1732, दिनांक 23 दिसम्बर 2013 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुकरवास, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1732, दिनांक 23 दिसम्बर 2013 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-6918)

सीहोर, दिनांक 31 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापन–2025.– इस कार्यालय का आदेश क्रमांक–परिसमापन–2025–591, सीहोर दिनांक 26 मई 2025 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कलवाना, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1641, दिनांक

27 सितम्बर 2012 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार जैन, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 29 जुलाई 99 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अतंर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कलवाना, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1641, दिनांक 27 सितम्बर 2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कलवाना, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1641, दिनांक 27 सितम्बर 2012 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

सुधीर कैथवास, उप पंजीयक.

(G-6919)

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

नीमच, दिनांक 3 सितम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापन–2025–640.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–2023–410, नीमच, दिनांक 03 मई 2023 के परिसमपाति सरल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नीमच, जिला नीमच, पंजीयन क्रमांक 524, दिनांक 09 जनवरी 1991 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री एस.एल. बामनिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के अस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अतिम प्रतिवेदन दिनांक 2 सितम्बर 2025 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुसंशा के आधार पर सोसायटी का रदद् किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पन्द्रह, सी दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी, मध्यप्रदेश, भोपाल की उप रजिस्ट्रर, सहकारी समितियाँ नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसमापित सरल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नीमच, जिला नीमच, पंजीयन क्रमांक 524, दिनांक 9 जनवरी 1991 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 2 सितम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-6920)

राजू डावर, सहायक पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 25 मई 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम–57 सी के अंतर्गत)

क्र.–परिसमापन–2025–क्यू.–उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधि ानियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं के सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर ध ारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिमसापक नियुक्त किया गया है:–

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3)	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक (4)	परिसमापक का नाम (5)
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चंदनपुरी.	2048 / 27–11–2015	369 / 27–03–2025	श्री महेन्द्र ठाकुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोहारी.	2084 / 18–02–2016	325 / 24–03–2025	श्री महेन्द्र ठाकुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घोटीयॉ.	640 / 21–12–1983	1665 / 16–10–2019	श्री महेन्द्र ठाकुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक
4.	माँ कल्याणी म.साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन.	1776 / 10–03–2014	407 / 09–03–2022	श्री महेन्द्र ठाकुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक
5.	तिरूमला साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन.	1910 / 10–03–2014	413 / 09–03–2022	श्री महेन्द्र ठाकुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक
6.	श्रीराम बहुउध्देशीय सह.संस्था मर्या. खरगोन.	1926 / 10–03–2014	406 / 09–03–2022	श्री महेन्द्र ठाकुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक
7.	महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्या., खरगोन.	10 / 28–02–1997	354 / 17–03–2025	श्री महेन्द्र ठाकुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारो को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना–पत्र के जारी करने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय–प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन में कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/ दावेदारगण/ सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दशाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 25 मई 2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-6921)

खरगोन, दिनांक 25 मई 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम 1962 के नियम–57 सी के अंतर्गत)

क्रमांक–परिसमापन–2025–.....–उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं के सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जय बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गंदावड	1901 / 10–03–2019	1459 / 11–11–2020	श्री महेन्द्र ठाकुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रणगांव गुरजी.	1570 / 18–05–2009	1191 / 17–07–2019	श्री महेन्द्र ठाकुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दामखेडा.	1278 / 23–01–2001	715 / 01–06–2016	श्री महेन्द्र ठाकुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारो को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना–पत्र के जारी करने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय–प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन में कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण / दावेदारगण / सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा–पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यावाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों / साहूकारों / सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दशाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस / शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 25 मई 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-6922) **महेन्द्र ठाकुर,** वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

संपर्क कार्यालय, श्रम शिविर, 123, देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी / ग) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–क्यू.– कार्यालय, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज

अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	उप आयुक्त सहकारिता जिला इन्दौर के संशोधित आदेश क्रं. व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भैसलाय इन्दौर.	डी.आर/आय.डी.आर/ 21 दि.	क्र./निर्वा./2025/3374 दिनांक 16–10–2025
2.	श्री सिध्दार्थ बेकवर्ड गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	डी.आर/आय.डी.आर/ 51 दि.	क्र./निर्वा./2025/3375 दिनांक 16–10–2025
3.	कप्तान गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	डी.आर/आय.डी.आर/ 503 दि. 26–05–1988	क्र./निर्वा./2025/3381 दिनांक 16–10–2025
4.	श्री दादाजी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	डी.आर/आय.डी.आर/ 526 दि. 24–04–1989	क्र./निर्वा./2025/3382 दिनांक 16–10–2025
5.	अलकनन्दा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	डी.आर/आय.डी.आर/ 738 दि. 04–07–1996	क्र./निर्वा./2025/3383 दिनांक 16–10–2025
6.	श्री कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., महू इन्दौर.	डी.आर/आय.डी.आर/ 311 दि. 23–06–1969	क्र./निर्वा./2025/3376 दिनांक 16–10–2025
7.	स्वरुपार्थी धातु उद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	डी.आर/आय.डी.आर/ 60 दि. 17–02–1960	क्र./निर्वा./2025/3377 दिनांक 16–10–2025
8.	पीतल पात्र सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	डी.आर/आय.डी.आर/ 350 दि. 02–04–1959	क्र./निर्वा./2025/3376 दिनांक 16–10–2025
9.	अपंग वस्त्रोद्योग सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	डी.आर/आय.डी.आर/ /..... दि.	क्र./निर्वा./2025/3379 दिनांक 16–10–2025
10.	नारायण संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्या., भिसानी, महू, जिला इन्दौर.	डी.आर/आय.डी.आर/ 235 दि. 01–02–1964	क्र./निर्वा./2025/3384 दिनांक 16–10–2025
11.	भवलाय सामुहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., भवलाय, महू, जिला इन्दौर.	डी.आर/आय.डी.आर/ 241 दि. 31–01–1964	क्र./निर्वा./2025/3385 दिनांक 16–10–2025
12.	हरिजन आदिवासी सामुहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., बेटमाखुर्द, जिला इन्दौर.	डी.आर/आय.डी.आर/ 114 दि. 29–07–1958	क्र./निर्वा./2025/3386 दिनांक 16–10–2025
13.	हरिजन आदिवासी सामुहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., तिल्लौर, जिला इन्दौर.	डी.आर/आय.डी.आर/ 236 दि. 01–09–1965	क्र./निर्वा./2025/3387 दिनांक 16–10–2025
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्या कायस्थ तह. सांवेर, जिला इन्दौर.	डी.आर/आय.डी.आर/ 747 दि. 12–09–1983	क्र./निर्वा./2025/3388 दिनांक 16–10–2025
15.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या पेमलपुर, तह. देपालपुर, जिला इन्दौर.	डी.आर/आय.डी.आर/ 2002 दि. 16–11–2000	क्र./निर्वा./2025/3389 दिनांक 16–10–2025

(1)	(2)	(3)	(4)
16.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुण्डलदोस्तधर, जिला इन्दौर.	डी.आर/आय.डी.आर /615 दि. 01–12–1981	क्र./निर्वा./2025/3390 दिनांक 16–10–2025.
17.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खुर्दाखुर्दी, जिला इन्दौर.	डी.आर/आय.डी.आर /652 दि. 03–07–1982	क्र./निर्वा./2025/3391 दिनांक 16–10–2025.
18.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कटक्या धरमपुरी, जिला इन्दौर.	डी.आर/आय.डी.आर /2863 दि. 04–2–2017	क्र./निर्वा./2025/3392 दिनांक 16–10–2025.
19.	फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीलबडौली, जिला इन्दौर.	डी.आर/आय.डी.आर /814 दि. 27–6–1991	क्र./निर्वा./2025/3380 दिनांक 16–10–2025.
20.	हातोद विपणन फल एवं सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हातोद, जिला इन्दौर.	डी.आर/आय.डी.आर /817 दि. 23–07–2001	क्र./निर्वा./2025/3393 दिनांक 16–10–2025.
21.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रंगवासा राऊ, जिला इन्दौर.	डी.आर/आय.डी.आर /265 दि. 10–10–1980	क्र./निर्वा./2025/3394 दिनांक 16–10–2025.

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेजों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय–प्रमाण के मुझे लिखित रुप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा–पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/अस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 28 अक्टूबर 2025 मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-6923) **ज्योति जोशी**, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

संपर्क कार्यालय– श्रम शिविर 123 देवी अहिल्या मार्ग, जेल रोड, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 3 नम्वबर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–क्यू.– कार्यालय, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का संशोधित आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	न्यू मालवा हैन्डलूम सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर.	869/08–02–1988	क्र./परिसमापन/2025/3301 दि. 13–10–2025
2.	नटराज बुनकर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर.	796/18–10–1984	क्र./परिसमापन/2025/3302 दि. 13–10–2025

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	आदर्श बुनकर कॉटन हैन्डलूम सहकारी संस्था मर्या., हातोद जिला इन्दौर.	67 / 02–06–1989	क्र. / परिसमापन / 2025 / 3303 दि. 13–10–2025
4.	सर्वोदय बुनकर सहकारी संस्था मर्या., कम्पेल, जिला इन्दौर.	117 / 29–08–1989	क्र. / परिसमापन / 2025 / 3304 दि. 13.10.2025
5.	दि. म.प्र. हाथकरधा बुनकर सहकारी संस्थां मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर.	425 / 14–03–1983	क्र. / परिसमापन / 2025 / 3305 दि. 13–10–2025
6.	डॉ. अम्बेडकर हाथ बुनकर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर.	1954 / 25–08–1999	क्र. / परिसमापन / 2025 / 3306 दि. 13–10–2025
7.	महिला आदिवासी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर.	889 / 10–12–1983	क्र. / परिसमापन / 2025 / 3307 दि. 13–10–2025
8.	प्रतीक गृह निमार्ण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर.	423 / 22–08–1987	क्र. / परिसमापन / 2025 / 2511 दि. 05–08–2025
9.	श्री चैतन्य गृह निमार्ण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर.	417 / 07–08–1986	क्र. / परिसमापन / 2025 / 2512 दि. 05–08–2025
10.	टीचर्स गृह निमार्ण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर.	101 / 31–01–1957	क्र. / परिसमापन / 2025 / 2513 दि. 05–08–2025
11.	म.प्र. पुलिस दूर संचार कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर.	711 / 12–09–1997	क्र. / परिसमापन / 2025 / 2514 दि. 05–08–2025
12.	आनंद विहार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, जिला इन्दौर.	422 / 28–08–1987	क्र. / परिसमापन / 2025 / 2566 दि. 09–09–2025

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम 57(1)(सी / ग) के अंतर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेजों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय–प्रमाण के मुझे लिखित रुप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण / साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदानुसार समिति की लेखा–पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी / देनदारी / अस्तियों का अंतिम रुप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 3 नवम्बर 2025 मेरे द्वारा जारी किया गया है.

श्याम छत्तरी, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(G-6924)

इन्दौर, दिनांक 3 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–क्यू– कार्यालय, उप–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का संशोधित आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आजाद सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर.	डी.आर/आय.डी.आर. /198 दि. 05–09–2013	क्र./निर्वा./2025/3436 दिनांक 17–10–2025
2.	जीवन सार्थक सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर.	डी.आर/आय.डी.आर. /2127 दि. 23–08–2003	क्र./निर्वा./2025/3437 दिनांक 17–10–2025
3.	कमला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	डी.आर/आय.डी.आर. /412 दि. 1986	क्र./निर्वा./2025/2750 दिनांक 07–05–2005

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेजों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय–प्रमाण के मुझे लिखित रुप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तदानुसार समिति की लेखा–पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/अस्तियों का अंतिम रुप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 3 नवम्बर 2025 मेरे द्वारा जारी किया गया है.

कविता चावल, परिसमापक अंकेक्षण अधिकारी.

(G-6925)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2025.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 नवम्बर 2025—कार्तिक 30, शक 1947

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाऐं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.